

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 353 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Kartik Sharma.

.....Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors.

... Respondents

REPORT BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF DISTRICT
MAGISTRATE, DEHRADUN, UTTARAKHAND IN COMPLIANCE OF
DIRECTIONS PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL VIDE ITS
ORDERS DATED 02.09.2022 & 12.01.2023 IN THE
ABOVEMENTIONED MATTER

P A P E R - B O O K

I N D E X

<u>Srl.</u>	<u>Particulars</u>	<u>Pages</u>
1.	Report by way of Affidavit on behalf of District Magistrate, Dehradun, Uttarakhand in compliance of orders dated 02.09.2022 and 12.01.2023 passed by this Hon'ble Tribunal	
2.	<u>ANNEXURE R-1</u> : A true copy of the order dated 02.09.2022 passed by this Hon'ble Tribunal.	
3.	<u>ANNEXURE R-2</u> : A true copy of the order dated 12.01.2023 passed by this Hon'ble Tribunal.	
4.	<u>ANNEXURE R-3</u> : Photocopy of the Notice issued by office of Executive Engineer, Uttarakhand Jal Sansthan, Mussoorie.	
5.	<u>ANNEXURE R-4</u> : Photocopy of the report of Executive Engineer, Uttarakhand Jal Sansthan, Mussoorie, Uttarakhand dated 10.03.2023	

Filed by:

Rahul Verma

(RAHUL VERMA)

Additional Advocate General for State of Uttarakhand /Respondent
137, Tower No.10, Supreme Enclave,
Mayur Vihar Phase-I, Delhi-110091 Mobile No. 9717706032
Email- advrahulverma9999@gmail.com

[Handwritten mark]

IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
ORIGINAL APPLICATION NO. 353 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Kartik Sharma.

.....Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors.

... Respondents

REPORT BY WAY OF AFFIDAVIT ON BEHALF OF DISTRICT
MAGISTRATE, DEHRADUN, UTTARAKHAND IN COMPLIANCE OF
DIRECTIONS PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL VIDE ITS
ORDERS DATED 02.09.2022 & 12.01.2023 IN THE
ABOVEMENTIONED MATTER

I, Mrs. Sonika W/o Shri Dhananjay Upadhyay aged about 42 years, presently posted as District Magistrate, Dehradun Uttarakhand, do hereby solemnly affirm on oath and state as under:

1. That in my abovementioned official capacity, I am acquainted with the facts and circumstances of the present matter, and I am fully competent and duly authorised to file present Report by way of Affidavit on behalf of District Magistrate, Dehradun, Uttarakhand.
2. That this Hon'ble Tribunal vide earlier its order dated 18.05.2022 was pleased to pass the following directions:-

.....
.....



Handwritten signature

"1. Grievance in this application is against unregulated drawal of water from Mussoorie Lake, having potential for damage to the lake. The violators include, Hotel Jaypee Residency, Mussoorie and others.

2. We have considered the matter. Unregulated withdrawal of water from the lake can certainly affect natural water cycle and environmental functions performed by the Lake – recharge of ground water aquifer, habitat to aquatic and semi aquatic plants and animals, quality of water etc. Thus, it appears to be necessary to ascertain factual position and remedial action taken by the statutory regulators.

3. Accordingly, we direct a joint Committee of CPCB, State PCB, District Magistrate, Dehradun and State Wetland Authority with State PCB being the nodal agency to ascertain facts and take remedial action in coordination with concerned authorities. The factual and action taken report may be filed with the Tribunal within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

....."

3. That, thereafter, this Hon'ble Tribunal vide its order dated 02.09.2022 was pleased to pass the following directions:-

"....."



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a vertical line.

2. *Vide order dated 18.05.2022, the Tribunal considered the grievance and adverse impact of unregulated drawal of water from lake which could affect natural water cycle and environmental functions performed by the Lake – recharge of ground water aquifer, habitat of aquatic and semi aquatic plants and animals, quality of water etc. To verify the factual position, the Tribunal constituted a joint Committee of CPCB, State PCB, District Magistrate, Dehradun and State Wetland Authority and required the said Committee to furnish a factual and action taken report to this Tribunal.*


3. *In pursuance of above, the State PCB on behalf of the joint Committee has filed its report on 20.08.2022, annexing observations during the field visit on July 13-14, 2022. Relevant extracts from the report are as follows:-*

XXXX

4. *We have heard learned counsel for the State PCB and considered the matter.*

5. *From the report it is seen that apart from water connections from the Jal Sansthan, the hotels are taking water through tankers which is taken from natural water spring near the Lake. Collection of additional water from natural water spring is in night hours.*

6. *In view of the report, it is clear that water is being collected from springs near the lake which is bound to adversely affect flow of water in the lake and downstream. There is no regulation for such drawal for commercial use to the detriment of those who depend on spring for scarce drinking water. Thus, scarce and precious clean water is being unauthorizedly taken from the catchment area of the*



Ⓟ

Lake at the cost of the environment as shown by the flow chart report. This situation needs to be remedied, particularly when water is not surplus. If such drawal of water is not regulated, content of water in the Lake will be substantially reduced and downstream water bodies and water supply will be obstructed, to the detriment of the environment. Further, it needs to be ensured that no wash water from washing of clothes or other source of waste water goes into the Lake and contaminates the same. The water quality of Lake needs to be monitored at least of Class 'B' of Primary Water Quality Criteria.

7. Accordingly, we direct a five member joint Committee to be headed by Chairman, Uttarakhand Pay Jal Sansthan with nominees of National Wetland Authority, State Wetland Authority, State PCB and District Magistrate, Dehradun to ensure that drawal of water from the catchment area of the Lake is duly regulated. State PCB needs to regulate consents only to the extent of availability of water with a commercial establishment from water harvesting or recycled waste water or water supplied by the Jal Sansthan. No hotel be allowed to draw water from springs flowing into the lake without strict regulation, considering the extent of availability and priority for availability of water for drinking purposes for the inhabitants. The State PCB will be the Nodal Agency for coordination and compliance. The Committee may ascertain the extent of capacity of the Jal Sansthan to supply water for domestic and commercial purposes separately. The Committee may also suggest regulatory measures to ensure that no unregulated drawal of water takes place for commercial purposes from the catchment areas of the Lake. A report about compliance status as per above directions as



4

on 31.10.2022 be furnished by 15.11.2022 by e-mail at *judicial-ngt@gov.in* preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

....."

A true copy of the said order dated 02.09.2022 passed by this Hon'ble Tribunal is annexed hereto and marked as ANNEXURE R-1.

4. That, this Hon'ble Tribunal vide its order dated 12.01.2023 was pleased to pass the following directions:-

"....."

XXXXX

6. Having said so, the Tribunal constituted a five member Committee headed by Chairman, Uttarakhand Jal Sansthan with nominees of National Wetland Authority, State Wetland Authority, State PCB and District Magistrate, Dehradun and passed following order:

XXXXX

13. The report, in fact, is incomplete and now, shows ineffective compliance of this Tribunal's order dated 02.09.2022. Since, drawl of water by private vendors for supply thereof for commercial use by the hotels is continuing with unregulated, irrespective of the fact that availability of drinking water supplied by Uttarakhand Jal Sansthan is not sufficient and as much as



AA

law. The compensation shall also be determined against the private vendors who have illegally drawn water from the above water stream, in accordance with law.

17. We further direct that a further detailed effective compliance report in terms of the directions given by this Tribunal in the order dated 02.09.2022 be placed before this Tribunal by means of further compliance and action taken report which shall be filed within two months by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF. Nodal agency will be the District Magistrate, Dehradun, Uttarakhand for coordination and compliance.


18. List for further consideration on 03.04.2023.

19. A copy of this order be forwarded to the Chairman, Uttarakhand Pay Jal Sansthan, UKPCB and District Magistrate, Dehradun by email for compliance.

20. We also direct that on the next date of hearing, Member Secretary, UKPCB and District Magistrate, Dehradun shall remain present before the Tribunal."

A true copy of the said order dated 12.01.2023 passed by this Hon'ble Tribunal is annexed hereto and marked as ANNEXURE R-2.

5. That it is respectfully submitted that in compliance of the directions passed by this Hon'ble Tribunal, the relevant material for kind consideration of this Hon'ble Tribunal are as follows;



total demand of water in MLD is 12.62 and availability of water is only 7.10 MLD. The shortage of water is 6.62 MLD and no provision has been shown as to how the shortage of water is being met or would be met.

14. Obviously, in a wholly unregulated and irrational manner the natural resources are being exploited by private persons using the natural asset for personal-commercial purposes affecting the availability of natural resources to be utilized for the public purpose. Public Trust Doctrine, in fact, in this case is being not complied by the Authorities in blatant illegal manner. It is no doubt true that the principal of Sustainable Development must be kept in mind which included running of hotels but not at the cost of the general people with regard to the availability of water for drinking and for domestic purposes.

15. In the fact and circumstances, till proper effective regulatory measures are provided by the UKPCB and other Authorities including District Magistrate, Dehradun, we hereby direct UKPCB and Distract Magistrate, Dehradun to ensure that no private vendor draw any water to carry through taker for supply for commercial use by the hotels and any violation will attract imposition of environmental compensation payable by such vendors and users, i.e., hotels.

16. In the meantime, we also direct that UKPCB shall take steps for determination of compensation for illegal use of water drawn from Dhobighat Water Spring by the hotels for commercial purposes, list whereof have been submitted as Annexure-2 to the report dated 20.08.2022, in accordance with



AA

6. That in para No.6 of order dated 2.9.2022, this Hon'ble Tribunal was pleased to direct that ".....*The water quality of Lake needs to be monitored at least of Class 'B' of Primary Water Quality Criteria.*" It is submitted in this regard that by the Office Of Executive Engineer, Uttarakhand Jal Sansthan, Mussoorie Notices were issued to the resident families of Dhobi Ghat issuing the directions that no domestic waste will be discharged in the upstream of Dhobi Ghat by the resident families, and also directed them to get the sewer connection connected immediately. (Copy of the Notice is annexed hereto and marked as ANNEXURE R-3.)

7. And in pursuant to that 13 consumers had taken sewer connection, and remaining consumers are also in process of taking sewer connection, it is also submitted that in entire State of Uttarakhand to convert polluted water into class 'B' category, the said work is being done by Uttarakhand Peyjal Nigam Limited, Uttarakhand Jal Sansthan is looking after the maintenance and operational works of the projects.




8. That in para No.7 of order dated 2.9.2022, this Hon'ble Tribunal was pleased to direct that –*“Accordingly, we direct a five member joint Committee to be headed by Chairman, Uttarakhand Pay Jal Sansthan with nominees of National Wetland Authority, State Wetland Authority, State PCB and District Magistrate, Dehradun to ensure that drawal of water from the catchment area of the Lake is duly regulated. State PCB needs to regulate consents only to the extent of availability of water with a commercial establishment from water harvesting or recycled waste water or water supplied by the Jal Sansthan. No hotel be allowed to draw water from springs flowing into the lake without strict regulation, considering the extent of availability and priority for availability of water for drinking purposes for the inhabitants. The State PCB will be the Nodal Agency for coordination and compliance.....”* and this Hon'ble Tribunal in para no. 15 in its order dated 12.01.2023 was pleased to direct that – *“In the fact and circumstances, till proper effective regulatory measures are provided by the UKPCB and other Authorities*



including District Magistrate, Dehradun, we hereby direct UKPCB and Distract Magistrate, Dehradun to ensure that no private vendor draw any water to carry through taker for supply for commercial use by the hotels and any violation will attract imposition of environmental compensation payable by such vendors and users, i.e., hotels."- In this regard it is respectfully submitted that the arrangement of storage of water through tankers in Dhobi Ghat, the said arrangements is completely demolished, because of that in Dhobi Ghat, presently no water is drawn and used by Hotels and private vendors, as well as the action regarding the restoration of water stream in Dhobi Ghat drain is in progress.

9. That it is also pertinent to mention herein that in addition to the above, regarding the remaining families of Dhobi Ghat, Uttarakhand Jal Sansthan, Mussoorie, Uttarakhand is directed to connect those remaining residents families / consumers of Dhobi Ghat to sewer line. A photocopy of the report of Executive Engineer, Uttarakhand Jal Sansthan, Mussoorie, Uttarakhand dated 10.03.2023 is annexed hereto and marked as ANNEXURE R-4.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a vertical line and a horizontal stroke.

10. That the present Report by way of Affidavit in compliance of directions passed by this Hon'ble Tribunal is being filed kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

[Signature]
DEPONENT

VERIFICATION

I, the deponent above named do hereby verify and say that the contents of my above report by way of affidavit are true and correct to my knowledge based on record, no part of it is false and nothing material has been concealed there from. The legal submissions are further true as per legal advice received and believed to be true and correct.

Verified by me at Dehradun, Uttarakhand on this 27 day of March, 2023.

Identified by-

[Signature]
DEPONENT
Filed through:

[Signature]

{RAHUL VERMA}
Additional Advocate General for State of Uttarakhand
/Respondent
137, Tower No.10, Supreme Enclave,
Mayur Vihar Phase-I,
Delhi-110091
Mobile No. 9717706032
Email- advraahulverma9999@gmail.com



his affidavit is sworn before me by
Shri. *Sauik Rajeev Acharya*
who is *Ad.*
at De. *07/3/2023*
[Signature]
Kms. *Urnikha*
Advocate & NOTARY, Dehradun

ANNEXURE R-1

Item No. 08

Court No. 1

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

(By Video Conferencing)

Original Application No. 353/2022

Kartik Sharma

Applicant

Versus

State of Uttarakhand

Respondent

Date of hearing: 02.09.2022


**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE PROF. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**

Respondent: Mr. Mukesh Verma, Advocate for UKPCB

ORDER

1. Grievance in this application is against unregulated drawal of water from Mussoorie Lake, having potential for damage to the lake. The violators include Hotel Jaypee Residency, Mussoorie and others.

2. Vide order dated 18.05.2022, the Tribunal considered the grievance and adverse impact of unregulated drawal of water from lake which could affect natural water cycle and environmental functions performed by the Lake - recharge of ground water aquifer, habitat of aquatic and semi aquatic plants and animals, quality of water etc. To verify the factual position, the Tribunal constituted a joint Committee of CPCB, State PCB, District Magistrate, Dehradun and State Wetland Authority and required the said Committee to furnish a factual and action taken report to this Tribunal.



3. In pursuance of above, the State PCB on behalf of the joint Committee has filed its report on 20.08.2022, annexing observations during the field visit on July 13-14, 2022. Relevant extracts from the report are as follows:-


"Field visit and observation of the Joint Committee During July 13-14, 2022

- A) *Status of water resources in Mussoorie during the visit: - It was found that the major water resources for the supply in the city or lake is natural water springs emanating from different points in the hilly area. These water springs are being tapped and supplied by the Jal Sansthan to their consumer that is domestic (Urban Area) as well as commercial purpose (hotels and other commercial activities). As per the discussion had with representative of Jal Sansthan Mr. Abhay Bhandari (Asst. Engineer), Mr. Abhay Singh Tirthwal(J.E), all the hotels are having water connection to fulfill their regular water requirements in normal days. The committee has verified some of the water bill, which was raised by Jal Sansthan and paid by hotels, which are enclosed for reference. (Annexure-1).*
- B) *As the prime matter of concern of the complainant is "Mussoorie Lake" which is manmade and is being developed and maintained by the Nagar Palika Parishad, Mussoorie. Mussoorie Lake is newly developed picnic spot located at 6 km from Mussoorie on Dehradun-Mussoorie Road. The Mussoorie Lake get water form natural water spring of the nearby hill, which is passing through Dhobi Ghat. The Mussoorie Lake is being used as aesthetic scenic beauty as well as amusement activities for the children as well as tourists.*

In Dhobi Ghat approximately 50-60 families are habituating on the either bank of the water spring in this hilly area. All of them are engaged in the washing of clothes for commercial purpose. During discussion with the people around that they get clothes mostly from the hotels/ hospitals. They are not well organized and the wastewater generated from washing activities being directly discharged into the continuous flowing water spring which further goes to different hotel industries, commercial establishment and Mussoorie Lake. In the upstream of Dhobi Ghat water has been tapped by the Jal Sansthan, which they are using for the supplying in the urban areas, which includes hotels and other commercial activities. The seepage form this point goes downstream and used by the washerman, tapping by the tankers and rest water goes to Mussoorie Lake and Bhatta fall. Detailed flow diagram of water feeding system in Mussoorie lake is given as under with relevant photographs.



Water Feeding System in Mussoorie Lake



- ❖ No metering system installed in this water spring.
- ❖ Water extraction is not regulated by any authority



No water extraction point in the Mussoorie Lake has been seen by the Joint Committee, which could be the potential use for the commercial establishment such as by hotels etc.


- C) Operation and maintenance of the water supply by the Jal Sansthan in Mussoorie is being carried out by tapping of different natural water springs & extraction of ground water to the local urban area, which includes commercial establishments.
- D) To ascertain the facts as applicant has raised in their grievances that hotels are withdrawing the water from Mussoorie Lake to fulfill their requirements, some of the hotels which are having more than 100 rooms capacity and operating in Mussoorie area has been visited by the Joint Committee to see their water management system they have adopted.

(1) Hotel The Savoy, Library Bazar Gandhi Chowk Post Savoy, Mussoorie, Uttarakhand

- Room Capacity — 110 Rooms (as per the Consent granted by UKPCB)
- Total Water connection from Jal Sansthan — 12
- Receives approximately 30 KLD (average) of water during month of April — May 2022 (Data is based on the April — May Bill raised by Jal Sansthan)
- Additional water requirements during the peak periods the hotel management take water from the natural water spring using water tankers, during night hours (10:00 PM to 5:00 AM) to avoid traffic congestion.
- It was informed by the hotel management that during month of April—May approximately 56 KLD water they consume from the natural water springs which is located on the Dehradun-Mussoorie State Highway.
- The wastewater generated by the different activities by the hotel is being treated by the existing Sewage Treatment Plant (STP) of 80 KLD Capacity as well as Effluent Treatment Plant (ETP) of 10 KLD Capacity. The quality of water outlet of these treatment facilities as per the analysis report provided by the hotel, complying with the prescribes norms.
- It was informed that the treated waste water is being used for horticulture activities within the premises.

2) M/s Jaypee Residency Manor Near St Georges Collage, Barlowganj, Mussoorie

- Room capacity — 135 number (as per the Consent granted by UKPCB)
- Total Water connection from Jal Sansthan — 02
- Total water received during April-May, 2022 as per the bill raised by the Jal Sansthan — 45.6 KLD (Average)
- Additional water fetch through water tanker — 1.6KLD (Average). **They are meeting out their additional requirement through water tanker, which they fetch from the natural water spring near Mussoorie Lake as other hotels or commercial establishments**




[Handwritten signature]

practices. The collection of additional water is carried out from the natural water springs during night hours (10:00pm to 5:00am) as per direction of local administration to avoid traffic congestion as the water extraction point is on the Dehradun-Mussoorie State Highway.

- **Sewage Treatment Plant (STP) for the treatment of the Sewage generated in the hotel — 110KLD, Effluent Treatment Plant (ETP) for the treatment of laundry- 12KLD**
- **As per the analysis report provided by the hotel for the treated waste water, which is being used for horticulture purpose all the prescribed parameters, were found well in the prescribed norms.**
- **The Hotel is surrounded by the residential area, it seems the treated/untreated waste water is not being discharged by the hotel in the surrounding water bodies. In this regard, State Pollution Control Board not found any public complaint in the recent past.**
- **As per available log book with the hotel 35-40 KLD treated waste water generated from treatment facility, which is being used for horticulture within the premises (approx. 6-acre area out of 9-acre land).**

During the site visit by the Joint Committee, no clear-cut evidence could trace out which can make responsible the hotel for polluting the Mussoorie Lake.

- E)** *As the complainant raised the issue of environmental function performed by lake, recharge of ground water aquifer, habited to aquatic and semi-aquatic plants and animals and quality of water etc. the Joint Committee visited the site and collected water samples from different locations of water spring and Mussoorie Lake to find out the factual position. These water samples are being analysis in Uttarakhand Pollution Control Board laboratory. The report and observations will be submitted in due course of time.*
- F)** *The detail study of environmental function performed by lake, recharge of ground water aquifer, habited to aquatic and semi-aquatic plants and animals is specialized task and required expert/specialized designated organization such as Linnologist/Lake Conservation Dept., Ground Water Board etc. The specialist of the subject concerned/department of the area concerned may be involved/engaged in this investigation to ascertain the factual position of Mussoorie Lake in Mussoorie in case Hon'ble NGT feel necessary considering the interim report submitted by Joint Committee.*
- G)** *As per the information available in Uttarakhand Pollution Control Board the total number of hotels is 282 of different categories that is Red, Orange and Green, operating in Mussoorie. Categorization is made based on the number of rooms of hotel being operated. The status of these hotels with respect to their regulatory requirement is annexed for reference (Annexure No 2). The Uttarakhand Pollution Control Board required to have strict vigil over the water quality management being*




practice by hotels to avoid deterioration of environmental conditions nearby water resources. They also required to prepare an inventory of potential water resources, which are being used for commercial purposes, in coordination with Jal Sansthan and Urban Local Bodies in this area to ensure sustainable water resource management.

H) Regarding washing activities at commercial level by the washerman in Dhobi Ghat, the local urban body required to regulate washing activities as per the established norms to avoid further deterioration the water quality of the natural water spring, in coordination with Jal Sansthan, Wetland development authority & State Pollution Control Board."

4. We have heard learned counsel for the State PCB and considered the matter.

5. From the report it is seen that apart from water connections from the Jal Sansthan, the hotels are taking water through tankers which is taken from natural water spring near the Lake. Collection of additional water from natural water spring is in night hours.

6. In view of the report, it is clear that water is being collected from springs near the lake which is bound to adversely affect flow of water in the lake and downstream. There is no regulation for such drawal for commercial use to the detriment of those who depend on spring for scarce drinking water. Thus, scarce and precious clean water is being unauthorizably taken from the catchment area of the Lake at the cost of the environment as shown by the flow chart report. This situation needs to be remedied, particularly when water is not surplus. If such drawal of water is not regulated, content of water in the Lake will be substantially reduced and downstream water bodies and water supply will be obstructed, to the detriment of the environment. Further, it needs to be ensured that no wash water from washing of clothes or other source of waste water goes into the Lake and contaminates the same. The water




quality of Lake needs to be monitored at least of Class 'B' of Primary Water Quality Criteria.

7. Accordingly, we direct a five member joint Committee to be headed by Chairman, Uttarakhand Pay Jal Sansthan with nominees of National Wetland Authority, State Wetland Authority, State PCB and District Magistrate, Dehradun to ensure that drawal of water from the catchment area of the Lake is duly regulated. State PCB needs to regulate consents only to the extent of availability of water with a commercial establishment from water harvesting or recycled waste water or water supplied by the Jal Sansthan. No hotel be allowed to draw water from springs flowing into the lake without strict regulation, considering the extent of availability and priority for availability of water for drinking purposes for the inhabitants. The State PCB will be the Nodal Agency for coordination and compliance. The Committee may ascertain the extent of capacity of the Jal Sansthan to supply water for domestic and commercial purposes separately. The Committee may also suggest regulatory measures to ensure that no unregulated drawal of water takes place for commercial purposes from the catchment areas of the Lake. A report about compliance status as per above directions as on 31.10.2022 be furnished by 15.11.2022 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List for further consideration on 30.11.2022.

A copy of this order be forwarded to the Uttarakhand Pay Jal Sansthan with nominees of National Wetland Authority, State Wetland Authority, State PCB and District Magistrate, Dehradun by email for compliance.



Adarsh Kumar Goel, CP


Sudhir Agarwal, JM

Prof. A. Senthil Vel, EM

September 02, 2022
Original Application No. 353/2022
A

ATRUE COPY
Attested Photo Copy

Km. URMILA BHATIA
Advocate & NOTARY, Dehradun.



[Handwritten signature]

ANNEXURE-2

Item No. 05

Court No. 2

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

(By Video Conferencing)

Original Application No. 353/2022

Kartik Sharma

Applicant

Versus


State of Uttarakhand

Respondent

Date of hearing: 12.01.2023

**CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE PROF. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER**Respondent: Mr. Rahul Verma, AAG for the State of Uttarakhand,
Mr. Mukesh Verma, Advocate for UKPCB**ORDER**

1. Grievance in this application is against unregulated drawal of water from Mussoorie Lake, having potential for damage to the lake. The violators include Hotel Jaypee Residency, Mussoorie and others.
2. Vide order dated 18.05.2022, the Tribunal considered the grievance and adverse impact of unregulated drawal of water from lake which could affect natural water cycle and environmental functions performed by the Lake - recharge of ground water aquifer, habitat of aquatic and semi aquatic plants and animals, quality of water etc. To verify the factual position, the Tribunal constituted a joint Committee of CPCB, State PCB, District Magistrate, Dehradun and State Wetland Authority and required the said Committee to furnish a factual and action taken report to this Tribunal.



3. In pursuance of above, the State PCB on behalf of the joint Committee has filed its report on 20.08.2022, annexing observations during the field visit on July 13-14, 2022. Relevant extracts from the report are as follows:-


"Field visit and observation of the Joint Committee During July 13-14, 2022"

- A) *Status of water resources in Mussoorie during the visit: - It was found that the major water resources for the supply in the city or lake is natural water springs emanating from different points in the hilly area. These water springs are being tapped and supplied by the Jal Sansthan to their consumer that is domestic (Urban Area) as well as commercial purpose (hotels and other commercial activities). As per the discussion had with representative of Jal Sansthan Mr. Abhay Bhandari (Asst. Engineer), Mr. Abhay Singh Tirthwal(J.E), all the hotels are having water connection to fulfill their regular water requirements in normal days. The committee has verified some of the water bill, which was raised by Jal Sansthan and paid by hotels, which are enclosed for reference. (Annexure-1).*
- B) *As the prime matter of concern of the complainant is "Mussoorie Lake" which is manmade and is being developed and maintained by the Nagar Palika Parishad, Mussoorie. Mussoorie Lake is newly developed picnic spot located at 6 km from Mussoorie on Dehradun-Mussoorie Road. The Mussoorie Lake get water form natural water spring of the nearby hill, which is passing through Dhobi Ghat. The Mussoorie Lake is being used as aesthetic scenic beauty as well as amusement activities for the children as well as tourists.*

In Dhobi Ghat approximately 50-60 families are habituating on the either bank of the water spring in this hilly area. All of them are engaged in the washing of clothes for commercial purpose. During discussion with the people around that they get clothes mostly from the hotels/ hospitals. They are not well organized and the wastewater generated from washing activities being directly discharged into the continuous flowing water spring which further goes to different hotel industries, commercial establishment and Mussoorie Lake. In the upstream of Dhobi Ghat water has been tapped by the Jal Sansthan, which they are using for the supplying in the urban areas, which includes hotels and other commercial activities. The seepage form this point goes downstream and used by the washerman, tapping by the tankers and rest water goes to Mussoorie Lake and Bhatta fall. Detailed flow diagram of water feeding system in Mussoorie lake is given as under with relevant photographs.



Water Feeding System in Mussoorie Lake



- ❖ No metering system installed in this water spring.
- ❖ Water extraction is not regulated by any authority

No water extraction point in the Mussoorie Lake has been seen by the Joint Committee, which could be the potential use for the commercial establishment such as by hotels etc.

- C) Operation and maintenance of the water supply by the Jal Sansthan in Mussoorie is being carried out by tapping of different natural water springs & extraction of ground water to the local urban area, which includes commercial establishments.
- D) To ascertain the facts as applicant has raised in their grievances that hotels are withdrawing the water from Mussoorie Lake to fulfill their requirements, some of the hotels which are having more than 100 rooms capacity and operating in Mussoorie area has been visited by the Joint Committee to see their water management system they have adopted.



(1) **Hotel The Savoy, Library Bazar Gandhi Chowk Post Savoy, Mussoorie, Uttarakhand**

- Room Capacity — 110 Rooms (as per the Consent granted by UKPCB)
- Total Water connection from Jal Sansthan — 12
- Receives approximately 30 KLD (average) of water during month of April — May 2022 (Data is based on the April — May Bill raised by Jal Sansthan)
- Additional water requirements during the peak periods the hotel management take water from the natural water spring using water tankers, during night hours (10:00 PM to 5:00 AM) to avoid traffic congestion.
- It was informed by the hotel management that during month of April—May approximately 56 KLD water they consume from the natural water springs which is located on the Dehradun-Mussoorie State Highway.
- The wastewater generated by the different activities by the hotel is being treated by the existing Sewage Treatment Plant (STP) of 80 KLD Capacity as well as Effluent Treatment Plant (ETP) of 10 KLD Capacity. The quality of water outlet of these treatment facilities as per the analysis report provided by the hotel, complying with the prescribes norms.
- It was informed that the treated waste water is being used for horticulture activities within the premises.

2) **M/s Jaypee Residency Manor Near St Georges Collage, Barlowganj, Mussoorie**

- Room capacity — 135 number (as per the Consent granted by UKPCB)
- Total Water connection from Jal Sansthan — 02
- Total water received during April-May, 2022 as per the bill raised by the Jal Sansthan —45.6 KLD (Average)
- Additional water fetch through water tanker — 1.6KLD (Average). **They are meeting out their additional requirement through water tanker, which they fetch from the natural water spring near Mussoorie Lake as other hotels or commercial establishments practices. The collection of additional water is carried out form the natural water springs during night hours (10:00pm to 5:00am) as per direction of local administration to avoid traffic congestion as the water extraction point is on the Dehradun-Mussoorie State Highway.**
- Sewage Treatment Plant (STP) for the treatment of the Sewage generated in the hotel — 110KLD, Effluent Treatment Plant (ETP) for the treatment of laundry- 12KLD
- As per the analysis report provided by the hotel for the treated waste water, which is being used for horticulture purpose all the prescribed parameters, were found well in the prescribed norms.
- The Hotel is surrounded by the residential area, it seems the treated/untreated waste water is not being discharged by the hotel in the surrounding water bodies.




In this regard, State Pollution Control Board not found any public complaint in the recent past.

- As per available log book with the hotel 35-40 KLD treated waste water generated from treatment facility, which is being used for horticulture within the premises (approx. 6-acre area out of 9-acre land).

During the site visit by the Joint Committee, no clear-cut evidence could trace out which can make responsible the hotel for polluting the Mussoorie Lake.

- E) As the complainant raised the issue of environmental function performed by lake, recharge of ground water aquifer, habited to aquatic and semi-aquatic plants and animals and quality of water etc. the Joint Committee visited the site and collected water samples from different locations of water spring and Mussoorie Lake to find out the factual position. These water samples are being analysis in Uttarakhand Pollution Control Board laboratory. The report and observations will be submitted in due course of time.
- F) The detail study of environmental function performed by lake, recharge of ground water aquifer, habited to aquatic and semi-aquatic plants and animals is specialized task and required expert/specialized designated organization such as Limnologist/Lake Conservation Dept., Ground Water Board etc. The specialist of the subject concerned/department of the area concerned may be involved/engaged in this investigation to ascertain the factual position of Mussoorie Lake in Mussoorie in case Hon'ble NGT feel necessary considering the interim report submitted by Joint Committee.
- G) As per the information available in Uttarakhand Pollution Control Board the total number of hotels is 282 of different categories that is Red, Orange and Green, operating in Mussoorie. Categorization is made based on the number of rooms of hotel being operated. The status of these hotels with respect to their regulatory requirement is annexed for reference (Annexure No 2). The Uttarakhand Pollution Control Board required to have strict vigil over the water quality management being practice by hotels to avoid deterioration of environmental conditions nearby water resources. They also required to prepare an inventory of potential water resources, which are being used for commercial purposes, in coordination with Jal Sansthan and Urban Local Bodies in this area to ensure sustainable water resource management.
- H) Regarding washing activities at commercial level by the washerman in Dhobi Ghat, the local urban body required to regulate washing activities as per the establish norms to avoid further deterioration the water quality of the natural water spring, in coordination with Jal Sansthan, Wetland development authority & State Pollution Control Board."



4. After considering the report Tribunal found that apart from water connection from Uttarakhand Jal Sansthan, Hotels are taking water through tankers which is taken from natural water spring near the Lake. Collection of additional water from natural water spring is in night hours.

5. In view of the report, it is clear that water is being collected from springs near the lake which is bound to adversely affect flow of water in the lake and downstream. There is no regulation for such drawal for commercial use to the detriment of those who depend on spring for scarce drinking water. Thus, scarce and precious clean water is being unauthorizedly taken from the catchment area of the Lake at the cost of the environment as shown by the flow chart report. This situation needs to be remedied, particularly when water is not surplus. If such drawal of water is not regulated, content of water in the Lake will be substantially reduced and downstream water bodies and water supply will be obstructed, to the detriment of the environment. Further, it needs to be ensured that no wash water from washing of clothes or other source of waste water goes into the Lake and contaminates the same. The water quality of Lake needs to be monitored at least of Class 'B' of Primary Water Quality Criteria.

6. Having said so, the Tribunal constituted a five member Committee headed by Chairman, Uttarakhand Pay Jal Sansthan with nominees of National Wetland Authority, State Wetland Authority, State PCB and District Magistrate, Dehradun and passed following order:

“...
7. Accordingly, we direct a five member joint Committee to be headed by Chairman, Uttarakhand Pay Jal Sansthan with nominees of National Wetland Authority, State Wetland Authority, State PCB and District Magistrate, Dehradun to ensure that drawal of water from the catchment area of the Lake is duly regulated. State PCB needs to regulate consents only to the extent of availability of water with a commercial establishment from water harvesting or recycled waste water or water supplied by the Jal Sansthan. No hotel be allowed to



draw water from springs flowing into the lake without strict regulation, considering the extent of availability and priority for availability of water for drinking purposes for the inhabitants. The State PCB will be the Nodal Agency for coordination and compliance. The Committee may ascertain the extent of capacity of the Jal Sansthan to supply water for domestic and commercial purposes separately. The Committee may also suggest regulatory measures to ensure that no unregulated drawl of water takes place for commercial purposes from the catchment areas of the Lake. A report about compliance status as per above directions as on 31.10.2022 be furnished by 15.11.2022 by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF."

7. Pursuant to order dated 02.09.2022, a factual and action taken report has been filed on 19.01.2023 and the report says as under:

"

संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 26-11-2022 को घोबिघाट स्थित श्रोतों, मसूरी झील एवं भट्टा फॉल का स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा विभागों द्वारा संकलित की गयी सूचनाओं का आकलन कर निम्नानुसार आख्या प्रस्तुत है।

1. घोबिघाट श्रोत एक प्राकृतिक सिंग है जो घोबिघाट बस्ती के Up-stream से आती है। सिंग में ग्रीष्म ऋतु में लगभग 950 एल0पी0एम0 पानी रहता है तथा माह जुलाई से माह दिसम्बर तक लगभग 1500 एल0पी0एम0 तक पानी उपलब्ध रहता है। जल श्रोत से जल संस्थान मसूरी द्वारा वर्ष 2003-04 में 350 एल0पी0एम0 पानी टेप कर घोबिघाट पम्पिंग पेयजल योजना बनायी गयी है। जिससे मसूरी नगर क्षेत्र में जलापूर्ती की जाती है। अवशेष जल जो कि ग्रीष्म ऋतु में लगभग 600 एल0पी0एम0 तथा अन्य माह में लगभग 1150 एल0पी0एम0 रहता है।
2. यह जल मसूरी घोबिघाट से प्रवाहित होता हुआ मसूरी झील में जाता है जिसके उपरान्त झील में ओवरफ्लो करता हुआ भट्टा फॉल नाले में प्रवाहित होता है।
3. मसूरी झील एक कृत्रिम सीमेन्ट/कोन्क्रीट निर्मित झील है जिससे किसी प्रकार से Ground Water recharge नहीं होता है। घोबिघाट नाले से झील में गेट पद्धति से 200 एल0पी0एम0 पानी लिया जाता है जो कि ओवरफ्लो होकर नाले में पुनः प्रवाहित हो जाता है। शेष जल झील के बाईपास गेट से भट्टा फॉल नाले में निरन्तर बहता है। यह झील कृत्रिम है, जिसका उपयोग मनोरंजन पार्क के लिये किया जाता है झील में किसी प्रकार की Aquatic macrophyte नहीं पाये गये।
4. घोबिघाट पर 50 से 60 परिवार घोबी निवास करते हैं। जिनका व्यवसाय कपड़ों की धुलाई करना है। उपरोक्त धुलाई से जनित उत्प्रवाह प्राकृतिक पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। जिसके लिये धुलाई से जनित उत्प्रवाह को बिना उपचार के घोबीघाट नाले में छोड़ा नहीं जाना चाहिए।
5. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार मसूरी नगर में लगभग 322 होटल पंजीकृत हैं। पंजीकृत आंकड़ों के अनुसार जिनकी कुल पानी की मांग लगभग 2.0 एम0एल0डी0 है। उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा व्यवसायिक जल के वितरण के आंकड़ों का आकलन किया जा रहा है जिनके संकलन के उपरान्त राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को शीघ्र उपलब्ध कक्षये जाये जिससे उनके निर्गत जल-वायु सहनता में आवश्यक संशोधन किये जा सकें।
6. उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा मसूरी में कुल 7.10 एम0एल0डी0 जलापूर्ती की जाती है, जिससे मसूरी के व्यवसायिक उपयोग हेतु को लगभग 3.50 एम0एल0डी0 जलापूर्ती की जा रही है। ग्रीष्म ऋतु में Floating population बढ़ जाने से पानी की मांग बढ़ जाती है।



(Handwritten signature)

जिसके कारण से धोबीघाट श्रोत से पेयजल के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन (पेयजल, भवन निर्माण, बागवानी, शौचालय इत्यादि) हेतु टैंकों के माध्यम से Local Vendors द्वारा जलापूर्ति करायी जाती है।

7. वर्तमान में मसूरी नगर क्षेत्र हेतु यमुना नदी से उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा मसूरी पेयजल पुनर्गठन योजना का कार्य वर्तमान है, जिस पर सम्बन्धित विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पेयजल का लगभग 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। इस योजना के पूर्ण हो जाने से वर्ष 2052 तक पानी की मांग पूर्ण हो जायेगी। (संलग्न 1)

मसूरी नगर क्षेत्र में पानी की मांग।

क्र.सं.	वर्ष	2022 Base year	2037 Mid year	2052 Design year
	पेयजल की कुल मांग एम0एल0डी0 में	12.62	15.58	19.17
1	उपलब्ध जल की मात्रा	7.10	6.04	4.17
2	अवशेष जल की मात्रा	5.52	9.54	15.00
3	जल की हानि (wastage)	1.10	1.88	2.00
4	आवश्यक जल की मांग	6.62	11.42	18.00

(संलग्नक तालिका के आंकड़े-उत्तराखण्ड पेयजल निगम के अनुसार)

8. धोबीघाट से एकत्रित किया जा रहा पानी वर्तमान category "D" में आता है। जिसका उपयोग बिना उपचार किये पेयजल के लिये नहीं किया जा सकता।

समिति का सुझाव


1. धोबीघाट पर टैंकों को दूषित पानी से भरे जाने हेतु टैंकर संचालकों द्वारा स्वयं की गयी अस्थायी व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाये इसके अतिरिक्त वर्तमान में अन्य उपयोगों हेतु (पेयजल, भवन निर्माण, बागवानी, शौचालय इत्यादि) जल को Up-stream से रिजिंग के वॉटर हैड (जहां पर जल संस्थान द्वारा वर्तमान में पम्पिंग हेतु श्रोत टेप किया गया है) से ग्रीष्म ऋतु में रात्री 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक टैंकों के माध्यम से अतिरिक्त जल आपूर्ति की व्यवस्था स्थानीय निकाय/जिला प्रशासन/पेयजल विभाग द्वारा संचालित किया जाये। जिसकी मात्रा श्रोत पर उपलब्ध जल की मात्रा का 70 प्रतिशत से अधिक न हो शेष 30 प्रतिशत जल धोबीघाट नाले में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होता रहे। यह व्यवस्था उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा बनाई जा रही मसूरी पुनर्गठन पेयजल योजना के निर्माण तक अस्थायी व्यवस्था के अन्तर्गत की जाये।
2. धोबीघाट में रहने वाले सभी परिवारों के सीवर संयोजन सुनिश्चित किये जाये जिससे धोबीघाट नाले में प्रवाहित जल की गुणवत्ता बनी रहे।
3. धोबीघाट नाले (Up-stream/Down-stream) की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु कचरों के धोने से उत्प्रवाह को उपचार के उपरांत ही नाले में प्रवाहित किया जाए, जिसके लिए स्थानिय निकाय एवं उत्तराखण्ड पेयजल निगम के द्वारा कार्य योजना बनाई जानी होगी।"



(Handwritten signature)

"On 28-11-2022, Joint Committee conducted on-site inspection of Dhobighat sources, Mussoorie lake and Bhatta fall and after assessing the information collected by the departments, the report is presented as follows.

1. Dhobighat sources is a natural spring which comes from the up-stream of Dhobighat township. About 950 LPM of water is available in the spring in summer and about 1500 LPM of water is available from the month of July to the month of December. In the year 2003-04, the Dhobighat Pumping Drinking Water Scheme has been made by tapping 350 LPM water from the water source by Jal Sansthan, Mussoorie. From which water supply is done in Mussoorie city area. Remaining water is about 600 LPM in summer and about 1150 LPM in other months.
2. This water flowing from Mussoorie Dhobighat goes to Mussoorie lake after which overflowing from the lake flows in to Bhatta Fall drain.
3. Mussoorie Lake is an artificial cement / concrete made lake which in any way does not recharge ground water. From Dhobighat drain, 200 L.P.M. water is taken in the lake by gate method, which after overflowing flows back into the drain. The rest of the water flows continuously from the bypass gate of the lake into the Bhatta fall drain. This lake is artificial, which is used for amusement park, no aquatic macrophyte had been found in the lake.
4. 50 to 60 families of washer men reside at Dhobighat. Whose business is washing clothes. The effluent generated from above washing affects the natural water quality. For which the effluent generated from washing is should not be discharged into the Dhobi Ghat drain without treatment.
5. According to the statistics of the Pollution Control Board, there are about 322 hotels registered in Mussoorie city. According to the registered data, whose total water demand is about 2.0 MLD. The statistics of distribution of commercial water is being assessed by the Uttarakhand Jal Sansthan, which after compilation should be made available to the State Pollution Control Board immediately so that necessary amendments can be made in their issued water and air consent.
6. A total of 7.10 MLD water is supplied in Mussoorie by the Uttarakhand Jal Sansthan. Due to which about 3.50 MLD of water was supplied for the commercial use of Mussoorie. Due to increase in floating population in summer, the demand for water increases, because of which apart from the Dhobi Ghat source, other than drinking water for other purposes (drinking water, building construction, gardening, toilets etc.) water supply is done by local vendors through tankers.
7. At present, for Mussoorie city area the work of Mussoorie Drinking Water Reorganization Scheme is being carried out by the Uttarakhand Drinking Water Corporation from Yamuna River, on which it was informed by the concerned department that about 70 percent drinking water work has been completed.



With the completion of this scheme, the demand of water will be fulfilled by the year 2052. (Enclosed 1).

Water demand in Mussoorie city area.

Sr. No	Year	2022 Base Year	2037 Mid-Year	2052 Design Year
	Total Demand of Drinking Water in M.L.D.	12.62	15.58	19.17
1	Amount of available Water	7.10	6.04	4.17
2	Amount of remaining water	5.52	9.54	15.00
3	Wastage of water	1.10	1.88	3.00
4	Demand of remaining water	6.62	11.42	18.00

8. The water being collected from Dhobighat currently comes in category "D". Which cannot be used for drinking water without treatment.

Committee's Suggestion


1. The temporary arrangements made by the tanker operators to fill the tankers with contaminated water at Dhobighat should be abolished, in addition to this, at present for other purposes (drinking water, building construction, gardening, toilets etc.) water pumped from Up-stream to spring's water head (where the source is currently tapped for pumping by Jal Sansthan), arrangement of additional water supply through tankers in summer season from 10 PM in night to 6.00 AM in morning may be operated by local body/district administration/drinking water department. The quantity of which should not exceed 70 percent of the quantity of water available at the source, the remaining 30 percent water should flow freely in the Dhobighat drain. This arrangement should be made under temporary arrangement till the construction of Mussoorie Reorganization Drinking Water Scheme being made by Uttarakhand Drinking Water Corporation.
2. Sewer connections of all the families living in Dhobighat should be ensured so that the quality of water flowing in the Dhobighat drain is maintained.
3. In order to improve the quality of Dhobighat drain (Up-stream / Down-stream), the effluent from washing of clothes should flow into the drain only after treatment, for which a plan will have to be made by the local body and Uttarakhand Drinking Water Corporation."

(English Translation by Tribunal)

8. The report shows that Dhobighat Water Spring is a natural spring which comes upstream of Dhobighat residential area. In the winter time normal water availability in Dhobighat Water Spring is 950 Liters Per



Minute (hereinafter referred to as "LPM)" and from July to December the rate of water availability is 1500 LPM. In 2003-04, Jal Sansthan Mussoorie framed a scheme of tapping 350 LPM water from Dhobighat Natural Spring in the name of 'Dhobighat Pumping Pey Jal Yojna'. The said scheme was for the purpose of supply of water in Mussoorie city. The remaining water allowed in the spring to the extent of 600 LPM during Summer and 1150 LPM during other time. The water flow from Dhobighat to Mussoorie Lake and after overflow it reaches to Bhatta Fall drain. Mussoorie Lake is a manmade concertized Lake in which there is no provision of groundwater recharge. From Dhobighat Spring, 200 LPM water is taken in the Lake for the purpose of Lake which on overflow reaches Bhatta Fall drain. The remaining water of Dhobighat Water Spring through bye-pass gate reaches Bhatta Fall drain and continues flow. Near Dhobighat there are 50-60 families of washer men engaged in the occupation of washing clothes. Their washing activities causes pollution in the water since the polluted water is discharged directly in Dhobighat Water Spring. As per the record of UKPCB, Mussoorie city has 322 registered hotels and their demand of water is 2 MLD. The actual statistics of commercial use of water and supply by Uttarakhand Jal Sansthan are being collected. It has also said that Uttarakhand Jal Sansthan is supplying 7.10 MLD water in Mussoorie city, out of which 3.50 MLD is used for commercial purposes. During summer season the demand of water gets increase due to increase of floating population. On account of short supply of water by Jal Sansthan, for other purposes the requirement of water is met by collecting water from Dhobighat Water Spring through tankers which are operated by local vendors. The Mussoorie Pay Jal Punergathan Yojna is in process whereof 70% work has been completed and rest of the work will be completed by 2052. A chart has been given with respect to the current demand of water




A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive script.

availability which is already mentioned hereinabove. They also admitted that the water quality of Dhobighat Water Spring is in category "D" which cannot be used for drinking purposes without treatment.

9. The entire report dossier shows as to under what authority the local vendors can take away water from natural spring since natural assets are owned by the people, i.e., the State and it has to work as custodian of natural assets. Nobody can take way natural asset like mined minerals, water, boulders or stones etc. without authority given by the State in accordance with law. It is not the case that any vendor has been authorized by the State to take away water from Dhobighat Water Spring and supply in private for commercial use or otherwise. It is also not stated anywhere that any hotel has obtain any authority to collect water from Dhobighat Water Spring for commercial purposes and to obtain it through private vendors by tankers.

10. The Tribunal in the last order dated 02.09.2022 very categorically directed that there has to be regulation of drawl of such water for commercial use since scarcity of water will cause further scarcity or availability of drinking water.

11. The joint Committee which was constituted to ensure that drawl of water from catchment area of Lake is duly regulated and UKPCB should regulate consents only to the extent of availability of water with commercial establishments from water harvesting or recycled waste water or water supply by Uttarakhand Jal Sansthan but the said directions have not been given any attention either by the joint Committee or UKPCB. This attitude and approach on the part of the joint Committee and UKPCB cannot be appreciated. Further, the Tribunal very categorically said that no hotel be allowed to draw water from springs



flowing into Lake without strict regulation, considering the extent of availability and priority for availability of water for drinking purposes for the inhabitants.

12. The Tribunal also directed the Committee to ascertain extent of capacity of Jal Sansthan to supply water for domestic and commercial purposes separately and to suggest regulatory measures to ensure that no unregulated drawl of water takes place for commercial purposes from the catchment areas of the Lake. The report unfortunately is silent on this aspect and no specific directions/observations/provisions/suggestions have been made by the Committee.

13. The report, in fact, is incomplete and now, shows ineffective compliance of this Tribunal's order dated 02.09.2022. Since, drawl of water by private vendors for supply thereof for commercial use by the hotels is continuing with unregulated, irrespective of the fact that availability of drinking water supplied by Uttarakhand Jal Sansthan is not sufficient and as much as total demand of water in MLD is 12.62 and availability of water is only 7.10 MLD. The shortage of water is 6.62 MLD and no provision has been shown as to how the shortage of water is being met or would be met.

14. Obviously, in a wholly unregulated and irrational manner the natural resources are being exploited by private persons using the natural asset for personal-commercial purposes affecting the availability of natural resources to be utilized for the public purpose. Public Trust Doctrine, in fact, in this case is being not complied by the Authorities in blatant illegal manner. It is no doubt true that the principal of Sustainable Development must be kept in mind which included running



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a vertical line and a horizontal line.

of hotels but not at the cost of the general people with regard to the availability of water for drinking and for domestic purposes.

15. In the fact and circumstances, till proper effective regulatory measures are provided by the UKPCB and other Authorities including District Magistrate, Dehradun, we hereby direct UKPCB and District Magistrate, Dehradun to ensure that no private vendor draw any water to carry through taker for supply for commercial use by the hotels and any violation will attract imposition of environmental compensation payable by such vendors and users, i.e., hotels.

16. In the meantime, we also direct that UKPCB shall take steps for determination of compensation for illegal use of water drawn from Dhobighat Water Spring by the hotels for commercial purposes, list whereof have been submitted as Annexure-2 to the report dated 20.08.2022, in accordance with law. The compensation shall also be determined against the private vendors who have illegally drawn water from the above water stream, in accordance with law.

17. We further direct that a further detailed effective compliance report in terms of the directions given by this Tribunal in the order dated 02.09.2022 be placed before this Tribunal by means of further compliance and action taken report which shall be filed **within two months** by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF. Nodal agency will be the District Magistrate, Dehradun, Uttarakhand for coordination and compliance.

18. List for further consideration on 03.04.2023.



19. A copy of this order be forwarded to the Chairman, Uttarakhand
Pay Jal Sansthan, UKPCB and District Magistrate, Dehradun by email for
compliance.

20. We also direct that on the next date of hearing, Member Secretary,
UKPCB and District Magistrate, Dehradun shall remain present before
the Tribunal.

Sudhir Agarwal, JM

Prof. A. Senthil Vel, EM

January 12, 2023
Original Application No. 353/2022
AVT

TRUE COPY
A



Attested Photo Copy
K. URMITA BHASTIA
Advocate & NOTARY, Dehradun.

ANNEXURE P-3



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

E-Mail - ee_upsmie@yahoo.co.in

पत्रांक 238 / नोदिरा / 2022-23

प्रेषित,

नोदिरा

दिनांक 14/2/23

श्री गौड़ सशर्मा
s/o स्व० गौड़ शर्मा
नखापानी, धौलीघाट

विषय:- सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में पंजीत गूल आवेदन नं० 353/2022 कार्तिक शर्मा वनान उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के क्रम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक-यूकेपीसीबी/एच०ओ/सा०-183/2023/568-1618 दिनांक 11-01-023 के क्रम में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके अनुसार परा 6 में निर्देश दिया गया है कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किया जाना है।

अतः धौलीघाट को अप स्ट्रॉम में कोई भी घरेलू जनित उत्सर्ग को प्राकृतिक नाले में न छोड़ा जाये इसके लिए आप अविलम्बतः एक सप्ताह के भीतर अपना सीवर संयोजन करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड जल सन्मरण एवं सौंदर्य व्यवस्था अधिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड उपान्तरण आदेश 2002 एवं उत्तराखण्ड जल सन्मरण घाट संसाधन एवं सौंदर्य अधिनियम 2008 के सुसंगत धाराओं एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सुसंगत धाराओं के क्रम = प्राधियानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

M/O

सहायक अभियन्ता
मसूरी।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1:- अधिशासी अभियन्ता महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को सावर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2:- उप जिलाधिकारी महोदय मसूरी।
- 3:- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ई-115 गेहलू गालोनी देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि धौलीघाट प्राकृतिक श्रोत के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुसंगत धाराओं में अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
- 4:- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मसूरी।
- 5:- कनिष्ठ अभियन्ता/संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

M/O

सहायक अभियन्ता



Attested Photo Copy

KRS. URMILA BHATIA
ADVOCATE & NOTARY, Lucknow.



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।



पत्रांक-289/नोटिस/2022-23

नोटिस

दिनांक 14/2/24

प्रेषित,

श्रीमती इमील शर्मा
ध/0 श्री केजान झली
नालापानी, धौलीघाट

विषय- सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में घोषित मूल आवेदन सं0 353/2022 कार्यालय शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेशों के क्रम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक-सूक्ष्मपीसीपी/एम0डी/सा0-183/2023/568-1618 दिनांक 11-01-2023 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सम्बन्ध ग्रहण करें जिसके अनुसार पैरा 6 में निर्देश दिए गये हैं कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किया जाना है।

अतः धौलीघाट की अब स्टाॅन में जोई भी करेंगे उद्योगों की प्राकृतिक नालों में न छोड़ पाये इसके लिए आप अविलम्बत एक सप्ताह के भीतर अपना सीवर संयोजन करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड जल सन्तरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1978 एवं उत्तराखण्ड उपनगर आदेश 2002 एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान घाटर सप्ताई एण्ड सीवरेंज बोर्डिंग 2008 के द्वापंगत धाराओं एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सुरंगत धाराओं के क्रम में प्राविधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी सुरंगत जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

o/c
सहायक अभियन्ता
मसूरी।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1:- अधिशासी अभियन्ता महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को सापेक्ष सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2:- उप जिलाधिकारी महोदय मसूरी।
- 3:- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ई-115 गिडल कालोनी देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि धौलीघाट प्राकृतिक झील के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुरंगत धाराओं में अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
- 4:- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिवध, मसूरी।
- 5:- कनिष्ठ अभियन्ता/संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

o/c
सहायक अभियन्ता



Attested Photo Copy
Km. UFMILL SHATIA
Advocate & NOTARY, Dehradun.



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

पत्रांक २५० / गोटिसा / 2022-23.

दिनांक 14/2/23

प्रेषित,

गोटिसा

श्री श्री शशी
S/O अबुल बतरीफ
नालापानी, धौवीघाट

विषय- सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक नं० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं० 353/2022 कार्तिक शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के क्रम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक-यूकेपीसीवी/एचओओ/सा०-183/2023/568-1618 दिनांक 11-01-2023 के क्रम में नं० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सन्दर्भ ग्रहण करे जिसके अनुत्तर पैरा 6 में निर्देश दिये गये है कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किया जाना है।

अतः धौवीघाट की अप स्ट्रीम में कोई भी दूषित जल प्रवाह को प्राकृतिक नाले में न छोड़ा जाये इसके लिये आप अविलम्बत एक सप्ताह के भीतर अपना सीवर संयोजन करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विलम्ब उत्तर प्रदेश जल संभरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड उपान्तरण आदेश 2002 एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान वाटर सप्लाय एण्ड सीवरिज वर्डलीज 2008 के सुसंगत धाराओं एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सुसंगत धाराओं के क्रम में प्राधिकारों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

o/c सहायक अभियन्ता
मसूरी।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी अभियन्ता महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2- उप जिलाधिकारी महोदय मसूरी।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ई-115 मेहसू कालोनी देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि धौवीघाट प्राकृतिक झील को जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुसंगत धाराओं में अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
- 4- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मसूरी।
- 5- कनिष्ठ अभियन्ता / संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

o/c सहायक अभियन्ता



Attested Photo Copy

Km. URMILA BHATIA
Advocate & NOTARY, UTTARAKHAND



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।



दिनांक. / 4. 2. 23

पत्रांक. 241 / नोटिस / 2022-23.

नोटिस

प्रेषित,

श्री असरफ अली
S/O श्री अब्दुल अली
नालापानी, घोषीघाट

विषय- सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा10 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0 353/2022 कार्तिक शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के क्रम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक-यूकेपीसीवी/एचओ/सा0-183/2023/568-1618 दिनांक 11-01-023 के क्रम में मा10 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके अनुसार पैरा 6 में निर्देश दिये गये हैं कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किया जाना है।

अतः घोषीघाट की अप स्ट्रीम में कोई भी बरतु जमित उत्प्रवाह को प्राकृतिक नाले में न छोड़ा जाये इसके लिये आप अपिलन्त एक चन्नाह के भीतर अपना सीवर संयोजन करवाना सुनिश्चित करें अन्वधा आपके बिल्ड उत्तराखण्ड जल सन्तरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड उपान्तरण आदेश 2002 एवं उत्तराखण्ड जल सन्तरण गार्डर चन्नाई एन्ड सीवरज वर्ड्सलीज 2008 के सुसंगत धाराओं एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सुसंगत धाराओं के उन में प्रावधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी त्वय की होगी।

o/c
सहायक अभियन्ता
मसूरी।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी अभियन्ता महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- उप जिलाधिकारी महोदय मसूरी।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ई-115 गैरु कालोनी देहरादून को इस आशय के सादर प्रेषित कि घोषीघाट प्राकृतिक स्रोत के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुसंगत धाराओं में आपसे स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
- 4- अधिशासी अधिकारी नगर पास्तिका परिषद, मसूरी।
- 5- कानूक अभियन्ता/संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

o/c
सहायक अभियन्ता



Attested photo Copy
K. UMESH CHHATIA
Advocate & Notary, Dehradun



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

पत्रांक 242 / नोटिस / 2022-23

दिनांक 14-2-23

प्रेषित,

नोटिस

श्री आर्या
S/O अहमद लतीफ
नालापानी, धोबीघाट

विषय- सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।


उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में संज्ञित मूल आवेदन सं० 353/2022 कार्तिक शर्मा वनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के क्रम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचओ/सा०-183/2023/568-1818 दिनांक 11-01-2023 के क्रम में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके अनुसार पैरा 6 में निर्देश दिए गये हैं कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किया जाना है।

अतः धोबीघाट की उप स्ट्रॉम में कोई भी परतू जमित उत्सवाह को प्राकृतिक नाले में न छोड़ा जाये इसके लिए आप अविलम्बतः एक सप्ताह के भीतर अपना सीवर संयोजन करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड जल सन्वयन एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड उपान्तरण आदेश 2002 एवं उत्तराखण्ड जल सन्वयन वाटर साफ्ट ईण्ड सीवरेंड फाईलॉज 2008 के सुसंगत धाराओं एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सुसंगत धाराओं के क्रम में प्रावधानों के अन्तर्गत दैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।


सहायक अभियन्ता
मसूरी।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1:- अधिशासी अभियन्ता महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को सादर सूचना प्रेषित।
- 2:- उप जिलाधिकारी महोदय मसूरी।
- 3:- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ई-115 नोएला कालोनी देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि धोबीघाट प्राकृतिक श्रोत के जल प्रवाह एवं प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुसंगत धाराओं में अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
- 4:- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मसूरी।
- 5:- कनिष्ठ अभियन्ता/संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।



सहायक अभियन्ता




Km. UPAMLA BHATIA
Advocate & NOTARY, Dehradun.



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।



दिनांक 14-2-23

पत्रांक 243 / नोटिस / 2022-23.

नोटिस

प्रेषित.

श्री सर्रीफ
S/O मा0 सकी
नालापाणी, बोधीघाट

विषय- सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0 353/2022 कार्तिक रत्ना यन्तन उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश को कम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक-यूकेपीसीपी/एम0आं/सा0-183/2023/568-1618 दिनांक 11-01-2023 के कम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके अनुसार पैरा 6 में निर्देश दिये गये हैं कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किया जाना है।

अतः धोधीघाट को अप ट्ट्रीन में कोई भी बरतू जनित उत्सर्ग को प्राकृतिक नाले में न छोड़ा जाये इसके लिए आप अभियन्ता एक सप्ताह के भीतर अपना सीवर संयोजन करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड जल सन्करण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड उपान्तरण आदेश 2002 एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान वाटर सप्लाई एण्ड सीवरज वर्ड्स/सॉल 2008 के सुसंगत धाराओं एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सुसंगत धारों के कम में प्रावधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

OK सहायक अभियन्ता
मसूरी।

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी अभियन्ता महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को समस्त सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2- उप जिलाधिकारी महोदय मसूरी।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ई-115 नेहरू गल्लोनी देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि धोधीघाट प्राकृतिक श्रंत के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुसंगत धाराओं में अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
- 4- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मसूरी।
- 5- कनिष्ठ अभियन्ता/संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

OK

सहायक अभियन्ता





कार्यालय अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

पत्रांक 244 / नोटिस / 2022-23

दिनांक 11-2-23

प्रेषित,

नोटिस

श्री गान्धुग अली
S/O श्री रबीत अली
नालापानी, धोबीघाट

विषय:- सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में घोषित मूल आवेदन सं0 353/2022 कार्तिक शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के क्रम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचओओ/सा0-183/2023/568-1618 दिनांक 11-01-2023 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके अनुसार पैरा 6 में निर्देश दिए गये हैं कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किया जाना है।

अतः धोबीघाट की अप स्ट्रीम में कोई भी घरेलू जनित उत्प्रवाह को प्राकृतिक नाले में च छोड़ा जाये इसके लिए आप अविलम्ब एक सप्ताह के भीतर अपना सीवर संयोजन करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड जल सन्मरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड उपान्तरण अधिनियम 2002 एवं उत्तराखण्ड जल सन्मरण एक्ट सप्लाइ एण्ड सेवरिज वर्डलॉज 2008 के सुसंगत धाराओं एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सुसंगत धाराओं के तहत प्रावधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी तब्य की होगी।


/ सहायक अभियन्ता
मसूरी।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1:- अधिशासी अभियन्ता महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2:- उप जिलाधिकारी महोदय मसूरी।
- 3:- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ई-115 नेहरू कालोनी मेहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि धोबीघाट प्राकृतिक थोत के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुसंगत धाराओं में अपने स्तर से कार्यवाही करने की गुंथा करेंगे।
- 4:- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मसूरी।
- 5:- जनित अभियन्ता/संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।


/ सहायक अभियन्ता

Attested Photo Copy
K.M. LIPMILA BHATIA
Solicitor & NOTARY, Consultant.





कार्यालय अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।



दिनांक: 14-2-23

पत्रांक 245 / नोटिस / 2022-23

नोटिस

प्रेषित,

श्री हनीक
S/O श्री असलगा
नालाघाटी, धौलीघाट

विषय- सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक ना0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0 353/2022 कार्तिक शर्मा बन्धन उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के क्रम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक-यूकेपीसीपी/एच0ओ/सा0-183/2023/568-1618 दिनांक 11-01-2023 के क्रम में ना0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके अनुसार पैरा 6 में निर्देश दिये गये हैं कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किन्तु जाना है।

अतः धौलीघाट की अम स्ट्रीम में कोई भी घरेलू जनित उत्सर्जन को प्राकृतिक नाले में न छोड़ा जाये इसके लिये आप अविलम्बतः एक सप्ताह के भीतर अपना सीवर संयोजन करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड जल सन्तरण एवं सीवर व्यवस्था अभिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड उपान्तरण आदेश 2002 एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान बोर्ड सप्ताई एन्ड सीवरेंज बोर्डलॉज 2008 के सुरांगत धाराओं एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सुरांगत धाराओं के क्रम में प्राविधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी सार्वत ज़िम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

[Signature]
साहायक अभियन्ता
मसूरी।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1:- अधिशासी अभियन्ता महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को साक्षर सूचनाार्थ प्रेषित।

2:- उप जिलाधिकारी महोदय मसूरी।

3:- क्षेत्रीय अधिवक्ता, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ई-115 नेहरू पालोली देहरादून को इस आशय के साथ पत्र लिखित कि धौलीघाट प्राकृतिक स्रोत को जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुरांगत धाराओं में अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।

- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मसूरी।

- कनिष्ठ अभियन्ता/संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

[Signature]
साहायक अभियन्ता
[Signature]
NOTARY
Krs. Urmila Bhatia
Advocate
Reg. No. 06/01/02
Dehradun
STATE OF UTTARAKHAND

Registered Photo Copy



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

पत्रांक 246 / नोटिस / 2022-23.

दिनांक 14-1-23

प्रेषित.

नोटिस

गौठ झरान (गस्जिद)
नालापानी, धौबीघाट

विषय- सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक नॉ० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में चोजित मूल आवेदन नॉ० 353/2022 कार्गिक राना बनान उत्तराखण्ड राज्य में पारित आंदश के कम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक-यूकेपीसीपी/एच०आ/सा०-183/2023/568-1818 दिनांक 11-01-023 के कम में नॉ० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके अनुसार पैरा 6 में निर्देश दिये गये हैं कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किया जाना है।

अतः धौबीघाट की अय स्ट्रॉम में कोई भी धरंतु जनित उत्प्लाव को प्राकृतिक नाते में न छोड़ा जाये इसके लिये आप अभिलम्बत एक सप्ताह के भीतर अपना सीवर संयोजन करवाना सुनिश्चिता करें अन्यथा आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड जल संस्थान एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड उपान्तरण अधिनियम 2002 एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान वाटर सप्लाई एण्ड सीवरेंज बार्डलॉज 2008 के सुसंगत धाराओं एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सुसंगत धाराओं के कम में प्राविधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी रच्य की होगी।

[Handwritten Signature]

सहायक अभियन्ता
मसूरी।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी अभियन्ता महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- उप जिलाधिकारी महोदय मसूरी।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ई-115 नेहरू कालोनी देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि धौबीघाट प्राकृतिक श्रोत के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुसंगत धाराओं में अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
- 4- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मसूरी।
- 5- कनिष्ठ अभियन्ता/संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

[Handwritten Signature]

सहायक अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।



दिनांक / 4-3-

पत्रांक 247 / नोटिस / 2022-23.

नोटिस

प्रेषित.

श्री अतीक अहमद
S/O रमाद अहमद
नालापानी, धौलीघाट

विषय-

सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में गंजित मूल आवेदन सं0 353/2022 कार्तिक शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के क्रम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक-पूकंपोसोबी/एड0ओ/ता0-183/2023/558-1618 दिनांक 11-01-2023 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके अनुसार पैरा 6 में निर्देश दिये गये हैं कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किया जाना है।

अतः धौलीघाट की अर स्त्रोम में कोई भी घरेलू जमित उत्प्रवाह को प्राकृतिक नाले में न छोड़ा जाये इसके तिये आप अवितन्वित एक जप्ताह के नीचे अपना सीवर संयोजन करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड जल संस्थान एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड उपान्तरण आदेश 2002 एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान वाटर सप्लाय एण्ड सीवरेंज बोर्डलॉज 2008 के सुसंगत धाराओं एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सुसंगत धाराओं के क्रम में प्रावधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

सहायक अभियन्ता
मसूरी।

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी अभियन्ता महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2- उप जिलाधिकारी महोदय मसूरी।
- 3- क्षेत्रीय अधिशासी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ई-115 गेहलू फात्सोनी देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि धौलीघाट प्राकृतिक स्रोत के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुसंगत धाराओं में अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
- 4- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मसूरी।
- 5- कनिष्ठ अभियन्ता/संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

सहायक अभियन्ता

Attested Photo Copy

Km. URMILA BHATTIA
Advocate & NOTARY, Dehradun.

Km. URMILA BHATTIA



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

पत्रांक 248 / नोटिस / 2022-23

दिनांक 14-2-23

प्रेषित,

नोटिस

श्री नसीम अहमद
S/O श्री गो. वसु
नालापानी, धोबीघाट

विषय- सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0 353/2022 कार्तिक शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के क्रम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक-यूकेपीसीबी/एच0ओ/सा0-183/2023/568-1618 दिनांक 11-01-2023 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके अनुसार पैरा 6 में निर्देश दिये गये हैं कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किया जाना है।

अतः धोबीघाट की अप स्टीम में कोई भी परतू जमित उत्स्रवण को प्राकृतिक नाले में न छोड़ा जाये इसके लिये आप अविलम्बतः एक सप्ताह के भीतर अपना सीवर संयोजन करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विलम्ब उत्स्रवण जल सन्तरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड सभान्तरण आदेश 2002 एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान वाटर सप्लाई एन्ड सैवरेज बोर्ड 2008 के सुसंगत धाराओं एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सुसंगत धाराओं के क्रम में प्राविधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्रवाही की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

सहायक अभियन्ता
मसूरी।

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी अभियन्ता महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- उप जिलाधिकारी महोदय मसूरी।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ई-115 नेहरू पार्लोनी देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि धोबीघाट प्राकृतिक स्रोत के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुसंगत धाराओं में अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
- 4- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मसूरी।
- 5- कनिष्ठ अभियन्ता/संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

सहायक अभियन्ता

Km. URMILA BHATIA
Advocate & NOTARY, Dehradun





कार्यालय अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।



पत्रांक 250 / नोटिस

दिनांक 14-2-23

पत्रांक 249 / नोटिस / 2022-23

नोटिस

प्रेषित,

श्री रिसाल शहीन
S/O श्री जगल शहीन
म. न. - 16
जालापाती धौबीघाट

विषय- सौंदर्य संगोपन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं० 353/2022 कार्तिक शर्मा वगान उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के क्रम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक-यूकेपीसीबी/एचओ/सा०-183/2023/568-1618 दिनांक 11-01-2023 के क्रम में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके अनुसार पैरा 6 में निर्देश दिए गये हैं कि "The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria" किया जाना है।


अतः धौबीघाट की अप स्ट्रीम में कंठ में घरेलू जमित उत्सर्ग को प्राकृतिक नाल में न छोड़ा जाये इसके लिए आप अपेक्षित एक सराह के भीतर अपना सौंदर्य संगोपन करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड जल सन्तरण एवं सौंदर्य व्यवस्था अधिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड उपनगर अधिनियम 2002 एवं उत्तराखण्ड जल सन्तरण बोर्ड सन्साई एण्ड सौंदर्य काइलिंग 2008 के सुसंगत धाराओं एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सुसंगत धाराओं के तहत प्रावधानों के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी। जिसकी समाप्त जिम्मेदारी आपकी स्तर की होगी।

सहायक अभियन्ता
मसूरी।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1:- अधिशासी अभियन्ता महोदय उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2:- उप जिलाधिकारी महोदय मसूरी।
- 3:- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड सं-115 नेहरू कालोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित कि धौबीघाट प्राकृतिक नाल के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुसंगत धाराओं में अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
- 4:- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मसूरी।
- 5:- कनिष्ठ अभियन्ता/संगोपन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

सहायक अभियन्ता



Handwritten signature



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

पत्रांक 250 / नोटिस / 2022-23

दिनांक 14-2-13

प्रेषित

नोटिस

श्री गिरीज इंदीन
S/O श्री जगल इंदीन
नालपानी, धौबीघाट

विषय- सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0 353/2022 कार्तिक शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के क्रम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक-यूकेपीसीवी/एचओ/सा0-183/2023/568-1618 दिनांक 11-01-2023 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का संदर्भ ग्रहण करें जिसके अनुसार पैरा 6 में निर्देश दिए गए हैं कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किया जाना है।

अतः धौबीघाट की अम स्ट्रीम में कोई भी घरेलू जलित उत्स्राह को प्राकृतिक झरने में न छोड़ा जाये इससे सिंचे अम अभियन्ता एक सप्ताह के भीतर अपना सीवर संयोजन करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड जल सन्तान एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड उपान्तरण आदेश 2002 एवं उत्तराखण्ड जल सन्तान वाटर सप्लाय एण्ड सॉवरज बोर्ड अधिनियम 2008 के सुसंगत धाराओं एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रावधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वा की होगी।

राहायक अभियन्ता
मसूरी।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1:- अधिशासी अभियन्ता महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को सादर सूचनाथ प्रेषित।
- 2:- उप जिलाधिकारी महोदय मसूरी।
- 3:- क्षेत्रीय अधिशासी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पुं-115 नोडल कालोनी देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि धौबीघाट प्राकृतिक श्रंत के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोक्ने हेतु जल प्रदूषण की सुसंगत धाराओं में अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
- 4:- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मसूरी।
- 5:- कनिष्ठ अभियन्ता/संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

राहायक अभियन्ता



Attested Photo Copy

Km. URMILA BHATIA
Advocate & NOTARY, Dehradun.



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

दिनांक 14/02/23

पत्रांक 251/नोटिस/2022-23.

नोटिस

प्रेषित,

श्री रिवाज अग्रवाल
S/O श्री निसार अग्रवाल
मालापाानी, धौलीघाट

विषय- तीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक ना0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण में योजित मूल आवेदन सं0 353/2022 कार्तिक शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के क्रम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक-यूकेपीसीडी/एच0ओ/सा0-183/2023/568-1618 दिनांक 11-01-2023 के क्रम में ना0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके अनुसार पैरा 6 में निर्देश दिये गये हैं कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किया जाना है।

अतः धौलीघाट की उप नदी में कोई भी घरेलू जनित उत्प्रवाह को प्राकृतिक नाले में न छोड़ा जाये इसके लिये आप अभियन्ता एक सप्ताह के भीतर अपना तीवर संयोजन करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध उत्तर प्रदेश जल सन्तान एवं तीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड संयोजन आदेश 2002 एवं उत्तराखण्ड जल सन्तान एंडर सन्वर्ड एन्ड तीवरेंज चार्टर्स 2008 के सुसंगत धाराओं एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सुसंगत धाराओं के क्रम में प्रविधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

सहायक अभियन्ता
मसूरी।

o/e

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी अभियन्ता महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को सादर सूचना प्रेषित।
- 2- उप जिलाधिकारी महोदय मसूरी।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ई-115 गेहल कालोपी देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि धौलीघाट प्राकृतिक श्रोत के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुसंगत धाराओं में अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
- 4- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मसूरी।
- 5- कनिष्ठ अभियन्ता/संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

सहायक अभियन्ता





कार्यालय आधशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

पत्रांक 252 / नोटिस / 2022-23

प्रेषित,

नोटिस

दिनांक / 4-7-23

श्री नजीस अहमद
S/O श्री सखीर अहमद
नालापानी, धौबीघाट

विषय- सौंदर्य संयोजन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0 353/2022 कार्तिक शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के क्रम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक-यूकेपीसीओ/एचओओ/सा0-183/2023/568-1618 दिनांक 11-01-2023 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सन्दर्भ ग्रहण करे जिसके अनुसार पैरा 6 में निर्देश दिये गये है कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किया जाना है।


अतः धौबीघाट की अब स्ट्रीम में कोई भी घरेलू जनित उत्स्रवण को प्राकृतिक स्रोत में न छोड़ा जाये इसके लिये आम अविलम्बत एक सप्ताह के भीतर अपना सौंदर्य संयोजन कार्रवाई सुनिश्चित करे अन्यथा आपके दिव्य उत्तराखण्ड जल सम्मरण एवं सौंदर्य व्यवस्था अभिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड सफाई अधिनियम 2002 एवं उत्तराखण्ड जल सञ्चयन घाट संसाधन एण्ड सौंदर्य अधिनियम 2008 के सुसंगत धाराओं एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सुसंगत धाराओं के क्रम में प्रावधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी सम की होगी।

सहायक अभियन्ता
मसूरी।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिसारी अभियन्ता महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को सौंदर्य सुचनाार्थ प्रेषित।
- 2- उप जिलाधिकारी महोदय मसूरी।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ई-115 नेहरू कालोनी देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि धौबीघाट प्राकृतिक स्रोत के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुसंगत धाराओं में अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
- 4- अधिसारी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मसूरी।
- 5- कनिष्ठ अभियन्ता / संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

सहायक अभियन्ता



Attested Photo Copy
Km. URMILA BHATIA
Advocate & NOTARY, Dehradun.



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।



दिनांक / 0-2-23

पत्रांक 253 / नोटिस / 2022-23

नोटिस

धेवित,

श्री शैल अजी
S/6 श्री रफी कुल्ला
जालापानी, धोबीघाट

विषय- सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड विद्युत मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0 353/2022 कार्तिक शनां धनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के क्रम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक-यूकेपीसीओ/एचओ/सा0-183/2023/568-1618 दिनांक 11-01-023 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके अनुसार पैरा 6 में निर्देश दिए गये हैं कि - 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किया जाना है।

अतः धोबीघाट की अप स्ट्रीम में कोई भी घरेलू जनित उत्प्रवाह को प्राकृतिक नाले में न छोड़ा जाये इसके लिए आप अवितन्वत. एक सप्ताह के भीतर अपना सीवर संयोजन करवाना सुनिश्चित करे अन्यथा आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड जल संयोजन एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड उपान्तरण आदेश 2002 एवं उत्तराखण्ड जल संयोजन बोर्ड सप्लाई एण्ड सीवरज सर्विलांस 2008 के सुसंगत धाराओं एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सुसंगत धाराओं के क्रम में प्रावधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी संय की होगी।

सहायक अभियन्ता
मसूरी।

0/0

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1:- अधिशासी अभियन्ता महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को सावर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2:- उप जिलाधिकारी महोदय मसूरी।
- 3:- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ई-115 नेहरू कालोनी देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि धोबीघाट प्राकृतिक श्रोत के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुसंगत धाराओं में अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
- 4:- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मसूरी।
- 5:- कनिष्ठ अभियन्ता/संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

सहायक अभियन्ता

0/0



Handwritten signature



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

पत्रांक 254 / नोटिस / 2022-23

दिनांक 14-1-23

प्रेषित,

नोटिस

श्री लल्लु राम राम प्रसाद
S/o श्री हेतु राम / श्री लल्लु राम
वालापानी धौवीघाट

विषय- सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा10 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में गैरजित मूल आवेदन सं0 353/2022 कार्तिक शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के क्रम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक-यूकेपीसीबी/एच0ओ/सा0-183/2023/568-1618 दिनांक 11-01-23 के क्रम में मा10 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके अनुसार परा 8 में निर्देश दिये गये हैं कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किया जाना है।


अतः धौवीघाट की अप स्ट्रीम में कोई भी घरेलू जमित उत्सर्जन को प्राकृतिक नाले में न छोड़ा जाये इसके लिए अप अभियन्ता एक सत्राई के भीतर अपना सीवर संयोजन करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड जल सन्धारण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड उपान्वरण आदेश 2002 एवं उत्तराखण्ड जल सन्धारण वाटर सत्राई एण्ड सीवरज कर्इलॉज 2008 के सुसंगत धाराओं एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

सहायक अभियन्ता
मसूरी।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी अभियन्ता महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2- उप जिलाधिकारी महोदय मसूरी।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ई-115 मेहल जलोभी देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि धौवीघाट प्राकृतिक स्रोत के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुसंगत धाराओं में अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
- 4- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मसूरी।
- 5- कनिष्ठ अभियन्ता/संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

सहायक अभियन्ता



Handwritten signature



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

का
उत्तरा

दिनांक 14-2-23

पत्रांक 255 / नोटिस / 2022-23

नोटिस

प्रेषित.

श्री रफी
S/O श्री मो रफी
नालापाणी, धावीघाट

विषय- सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं० 359/2022 कार्तिक शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के क्रम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक-दुर्लभासीपी/एचओ/सा०-183/2023/568-1618 दिनांक 11-01-2023 के क्रम में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके अनुसार पैरा 6 में निर्दिष्ट दिने गये है कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किया जाना है।

अब धावीघाट की इन स्ट्रीम में कोई भी घरेलू जलिनित उत्सर्ग को प्राकृतिक नाले में न छोड़ा जाये इसके लिए आप अभियन्ता एक सप्ताह के भीतर अपना सीवर संयोजन करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड जल संस्थान एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड उपनगर आदेश 2002 एवं उत्तराखण्ड जल संयोजन कट्टर सन्नाई एन्ड सीवरेंज बोर्डलाय 2008 के सुसंगत धाराओं एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सुसंगत धाराओं के क्रम में प्राधिकारों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

सहायक अभियन्ता
मसूरी।

o/c

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी अभियन्ता महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को सादर सूचनाएं प्रेषित।
- 2- उषा जिलाधिकारी महोदय मसूरी।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ई-115 नेहरू कालोनी देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि धावीघाट प्राकृतिक श्रोत के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुसंगत धाराओं में अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
- 4- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मसूरी।
- 5- कनिष्ठ अभियन्ता/संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

सहायक अभियन्ता

o/c



Requested Photo Copy

ANURIMA BHATTIA
NOTARY PUBLIC, DEHRADUN



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

पत्रांक 252 / नोटिस / 2022-23

दिनांक 11-1-23

प्रेषित,

नोटिस

श्री गुरुगढ़ लीपा
S/O श्री गुरुगढ़ मसूरी
नालापानी, धौलीघाट

विषय- सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक नो० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में घोषित मूल आदेश नं० 393/2022 कार्तिक शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के क्रम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक-सूकंपौलीकी/एमओओ/सा०-183/2023/568-1618 दिनांक 11-01-2023 के क्रम में नो० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके अनुसार पैरा 6 में निर्दिष्ट दिव्य नये हैं कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किया जाना है।

अतः धौलीघाट को अप स्ट्रीम में कोई भी घरेलू जनित उत्स्राह को प्राकृतिक मांसे में न छोड़ा जाये इसके लिए आप अधिलम्बत एक सप्ताह के भीतर अपना सीवर संयोजन करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड जल सन्तरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड उपन्यायन आदेश 2002 एवं उत्तराखण्ड जल सन्तरण बोर्ड सप्ताह 1 एच सीएनएल 2008 के सुसंगत धाराओं एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सुसंगत धाराओं के तहत प्राधिकरणों के अन्यायत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। शिवाजी समस्त जिम्मेदारी आपकी संग की होगी।

सहायक अभियन्ता
मसूरी।

o/c

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी अभियन्ता महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को सादर सूचना प्रेषित।
- 2- उप जिलाधिकारी महोदय मसूरी।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उं-115 नेहरू कालोनी देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि धौलीघाट प्राकृतिक श्रोत के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुसंगत धाराओं में अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
- 4- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मसूरी।
- 5- कनिष्ठ अभियन्ता/संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

o/c

सहायक अभियन्ता



Handwritten signature or mark.



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

पत्रांक 256 / नोटिस / 2022-23

दिनांक 14-2-23

प्रेषित,

नोटिस

श्री सिराजू अलगद
S/O वंदरप्रसाद
नालापानी, धौलीघाट

विषय- सीवर संयोजन की समझौता में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0 353/2022 कार्तिक शर्मा वमान उत्तराखण्ड राज्य में पारित अधिसूचना के तहत एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक-सूक्रीपीरिपी/एच0ओ/सा0-183/2023/508-1616 दिनांक 11-01-23 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सन्दर्भ ग्रहण करे जिसके अनुसार पत्र 6 में निर्देश दिये गये है कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किया जाना है।

अतः धौलीघाट की अप स्ट्रीम में कोई भी घरेलू जमित उत्सर्ग को प्राकृतिक शरी में न छोड़ा जाये इससे लिये आम अधिसूचना एक सप्ताह के भीतर अपना सीवर संयोजन करवाना सुनिश्चित करे अन्यथा आपसे दिनांक उत्तराखण्ड जल सन्मरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड उपान्तरण आदेश 2002 एवं उत्तराखण्ड जल सन्मरण आदेश 2008 एवं सीवर संयोजन 2008 के तुरंतगत धाराओं एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सुसंगत धाराओं के तहत प्रविधानों के अन्तर्गत दैनिकिक कार्रवाई की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

[Signature]
o/c सहायक अभियन्ता
मसूरी।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित की सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

- 1:- अधिशासी अभियन्ता मसूरी, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को साक्षर सूचना प्रेषित।
- 2:- उप निवासीकारी महोदय मसूरी।
- 3:- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ई-115 मेहरू कालोनी देहवादा के इस आशय के साथ प्रेषित कि धौलीघाट प्राकृतिक शरी के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुसंगत धाराओं में अपने स्वयं से कार्रवाई करने की भूमा करेगी।
- 4:- अधिशासी अभियन्ता नगर पालिका परिषद, मसूरी।
- 5:- कनिष्ठ अभियन्ता/संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

[Signature]
o/c सहायक अभियन्ता



[Signature]
Attested Photo Copy
K. UNDEA BHATIA
Advocate & NOTARY, Dehradun.



कार्यालय आदेशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

पत्रांक 159 / नोटिस / 2022-23

दिनांक 14-2-23

नोटिस

प्रेषित

श्री रसीद अलगद
S/10 श्री लसरी अलगद
बालापानी, धौबीघाट

विषय- सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में मोजित मूल आवेदन सं0 353/2022 कार्तिक शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के क्रम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक-यूएपीसीबी/एच0अं/सा0-183/2023/568-1618 दिनांक 11-01-2023 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके अनुसार पैरा 6 में निर्दिष्ट दिव्य गये है कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किया जाना है।

अतः धौबीघाट की अप स्ट्रीम में कोई भी घरेलू जमित उत्सर्ग को प्राकृतिक नाले में न छोड़ा जाये इसके लिये आप अभिलम्बत एक सप्ताह के भीतर अपना सीवर संयोजन करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके बिल्डर उत्तराखण्ड जल संयंत्र एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड उपान्तरण आदेश 2002 एवं उत्तराखण्ड जल संयंत्र कट्टर सन्साई एन्ड सीवरेंज बोर्डलॉज 2008 के सुसंगत धाराओं एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सुसंगत धाराओं के क्रम में प्रावधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्तर की होगी।

सहायक अभियन्ता
मसूरी।

0/1

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी अभियन्ता महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को सावर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- उप जिलाधिकारी महोदय मसूरी।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ई-115 नेहरू कालोनी देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि धौबीघाट प्राकृतिक श्रोत के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुसंगत धाराओं में अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
- 4- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मसूरी।
- 5- कनिष्ठ अभियन्ता/संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

सहायक अभियन्ता

0/1





कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

1000-5/50

दिनांक: 20/01/22

प्राप्त

वित्त

1000/1/2

श्री सुहृग्गद अली
S/o श्री सुहृग्गद अली
भारोपाटी, धौबीघाट

विषय- सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक गाँव राष्ट्रीय स्वस्थि अधिकरण में संयोजित मुज अवैदक NO 351/2022 कार्यालय नमो वनम उत्तराखण्ड राज्य में पारित अधिसूचना के क्रम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रिका-पुणेपीसीसी/एमओसी/साओ-103/2023/668-1618 दिनांक 13-01-2023 के क्रम में एवं राष्ट्रीय स्वस्थि अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का अनुसंधान करने जिसके अनुसार पत्र 4 में निर्दिष्ट किए गए हैं कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किया जाना है।

आत धौबीघाट की अप स्ट्रीम में कोई भी घरेलू अथवा उद्योगिक की प्राकृतिक नाले में न डाले जाये इससे किट आप अधिलम्बत एक सप्ताह के भीतर अपना सीवर संयोजन करवाना सुनिश्चित करे अन्यथा आपकी किट्टे संपत्तिका जल सन्तान एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1976 एवं उत्तराखण्ड संपत्तिका आदेश 2002 का उल्लंघन एवं संपत्तिका नदर सजावट एवं सीवरेंज काइलॉक 2006 के सुदमंत धाराओं एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सुदमंत धाराओं के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपको सदा की गयी।

सहायक अभियन्ता
मसूरी।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी अभियन्ता महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2- उप जिलाधिकारी महोदय मसूरी।
- 3- केंद्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 3-116 नेहरू कालोनी देहरादून को इस आधार के साथ प्रेषित कि धौबीघाट प्राकृतिक स्रोत के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुदमंत धाराओं से अधन स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करें।
- 4- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मसूरी।
- 5- कनिष्ठ अभियन्ता/संयोजन विधिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

सहायक अभियन्ता



Attested Photo Copy
Km. URMILA BHATIA
Advocate & NOTARY, Dehradun.

कार्यालय
उत्तराखण्ड

E-Mail - uwater@uwater.gov.in



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

12-09/2022

दिनांक 12/09/2022-23 नोरिसा

प्रेषित

श्री लक्ष्मी अहमद
5/0 श्री रामजुनी
लक्ष्मीपाणा, धौलीघाट

विषय- सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायित्व मूल आवेदन सं0 353/2022 कावैक शर्त बन्धन उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश को कम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के आदेश-मुकुटीबोडी/एम0अ0/सा0-183/2023/588-1618 दिनांक 11-01-2023 को कम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सम्बन्ध ग्रहण करें जिसके अनुसार पैरा 6 में निर्दिष्ट विधि रहे है कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किन्वा जाना है।

अतः धौलीघाट की उप स्टीम में कोई भी बरसू जमित उद्घाट को प्राकृतिक जल में न घाटा जाये इसके लिए उप अधिसूचित एक नज्वाह के भीतर अपना सीवर संयोजन करवाना सुनिश्चित करे अन्यथा अगले दिनांक उत्तराखण्ड जल संभरण एवं सीवर व्यवस्था अभिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड उपान्तरण अधिनियम 2002 एवं उत्तराखण्ड जल संयोजन एंड सेपरेट सेंटिनेज बोर्डलॉज 2008 के सुसंगत प्रावधान एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सुसंगत धारणा के अन्तर्गत प्रावधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

सहायक अभियन्ता
मसूरी।

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी अभियन्ता महादय उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को राखर सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2- उप विभागाधिकारी महादय मसूरी।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ई-115 नेहरू बरलंगी देहरादून को इस आदेश को साथ प्रेषित कि धौलीघाट प्राकृतिक श्रेष्ठ के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुसंगत धारणा से अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करें।
- 4- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका धरिबर, मसूरी।
- 5- कनिष्ठ अभियन्ता/संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

सहायक अभियन्ता





कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

संकेत 264 / नोटिस / 2022-23

दिनांक / 4-2-23

प्रेषित,


नोटिस

श्री सुधीर खन्ना
S/O श्री इम्बुल्ल
मकान नं०-०९
मालापानी, धौलीघाट

विषय- सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।


उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अभियान में घोषित मूल आवेदन सं० 353/2022 कार्तिक शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के क्रम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक-यूकेपीसीपी/एचओ/सा०-183/2023/568-1618 दिनांक 11-01-2023 के क्रम में मा० राष्ट्रीय हरित अभियान के आदेश दिनांक 02-09-22 का तत्पर्य ग्रहण करे जिसके अनुसार पैरा 6 में निर्देश दिये गये है कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किया जाना है।


अतः धौलीघाट की अब स्थिति में कोई भी धरतु पकित एडवार्ड को प्राकृतिक माते में न छोड़ा जाये इसके लिये आप अविलम्बत एक सत्राह के भीतर अपना सीवर संयोजन करवाना सुनिश्चित करे अन्यथा आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड जल संयंत्रण एवं सीवर प्रणाली अधिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड उपनगर आदेश 2002 एवं उत्तराखण्ड जल संयंत्रण बोर्ड संस्वर्ड एन्ड सीवर बोर्डिंग 2005 के सुसंगत धाराओं एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सुसंगत धाराओं के क्रम में प्राधिकारों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।


सहायक अभियन्ता
मसूरी।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी अभियन्ता महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को सावर सूचनाएं प्रेषित।
- 2- उप जिलाधिकारी महोदय मसूरी।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ई-115 नेहरू कालोनी देहरादून को इस आराय के साथ प्रेषित कि धौलीघाट प्राकृतिक स्रोत के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुसंगत धाराओं में अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
- 4- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिसर, मसूरी।
- 5- कनिष्ठ अभियन्ता/संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।


सहायक अभियन्ता



Attested Photo Copy

Km. URMILA SHATIA
Advocate & NOTARY, Dehradun.



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

पत्रांक. 266 / गोरिदा / 2022-23.

दिनांक 14-2-23

प्रेषित,

गोरिदा

श्री. जमील अरजद
S/O श्री अब्दुल सुगद
नालापाती, घोसीघाट

विषय- सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन रा0 353/2022 कार्तिक रात व्रतान उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के क्रम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक-यूकेपोलीसी/एच0ओ/सा0-183/2023/568-1018 दिनांक 11-01-2023 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सम्पूर्ण ग्रहण करें जिसके अनुसार पैरा 6 में निर्दिष्ट दिने गये है कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किया जाना है।

अतः घोसीघाट की अर नदी में कोई भी घरेलू जनित उत्प्रवाह को प्राकृतिक नाले में न छोड़ा जाये इसके लिये आप अविलम्बत एक सप्ताह के भीतर अपना सीवर संयोजन करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड जल सन्तारण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड संचारण आदेश 2002 एवं उत्तराखण्ड जल सन्तारण नगर सफाई एन्ड सीवरेंज बोर्डलॉज 2008 के सुसंगत धाराओं एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सुसंगत धाराओं के क्रम में प्रावधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

सहायक अभियन्ता
मसूरी।

0/C

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी अभियन्ता महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2- उप जिलाधिकारी महोदय मसूरी।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ई-115 नेहरू कालोनी देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि घोसीघाट प्राकृतिक श्रोत के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुसंगत धाराओं में अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
- 4- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका गरिपद, मसूरी।
- 5- कनिष्ठ अभियन्ता/संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

सहायक अभियन्ता



Attested Photo Copy

K. UMILA BHATIA
ADVOCATE & NOTARY, Demadun

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।



दिनांक 14-2-23

पत्रांक 267/नोटिस/2022-23.

नोटिस

प्रेषित,

श्री डसरा भट्टी
S/o श्री सरवटला
मालापानी, धौबीघाट

विषय- सीवर संग्रहण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने योजित मूल आवेदन सं0 353/2022 कार्तिक शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के क्रम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक-गुरुगोलीवी/एच0ओ/सा0-183/2023/568-1618 दिनांक 11-01-23 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सम्बन्ध ग्रहण करे जिसके अनुसार पैरा 6 में निर्देश दिये गये है कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किमा जाना है।

अतः धौबीघाट की ओर स्टीम ने जोई भी घरेलू जलित उद्योगों को प्राकृतिक स्रोतों में न छोड़ा जाये इसके लिये अथ अपेक्षित एक सप्ताह के भीतर अपना सीवर संग्रहण करवाया सुनिश्चित करे अन्यथा आपके विलम्ब उत्तराखण्ड जल संस्थान एवं सीवर व्यवस्था अभियन्ता 1975 एवं उत्तराखण्ड उपान्तरण आदेश 2002 एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान बाटर सलाई एन्ड सीवरज वर्डलीज 2008 के सुसंगत धाराओं एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सुसंगत धाराओं के क्रम में प्राविधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी सतत विमोचनी आपकी रुचि की होगी।

सहायक अभियन्ता
मसूरी।

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी अभियन्ता महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को तबत सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2- उप जिलाधिकारी महोदय मसूरी।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ई-115 मेहरु कालोनी देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि धौबीघाट प्राकृतिक स्रोत के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुसंगत धाराओं में अपने स्तर से कार्यवाही करने की गुंथा करेगी।
- 4- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मसूरी।
- 5- कनिष्ठ अभियन्ता/संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

सहायक अभियन्ता



Attested Photo Copy

Km. Unnao, Uttarakhand, Advocate B. N. C. ...



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

संख्या 68 / मोरिस / 2022-23

दिनांक 15-1-23

पश्चिम

मोरिस

श्री युगतान इलगाय
516 श्री लखरुहीन्
लखनापानी, धौलीगढ़

विषय - लीवर संचयन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने मांजिल मुज आवेदन नं. 353/2022 कार्बनिक राने बनाम उत्तराखण्ड राज्य में भारत ओवरस के नाम में एक उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक-पूणेमेसोनी/एचडी/साउ-183/2023/508-1618 दिनांक 11-01-23 के क्रम में एक राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-02-22 का सम्बन्ध ग्रहण करें जिसके अनुसार पैरा 6 में निर्दिष्ट दिव नये है कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किया जाना है।

इस धोबीचाट की इन स्टेशन में कोई भी चरतू जमित उद्योगों को प्राकृतिक माते में न होना चाहे इसके लिए और अधिभन्ता एक सस्ताह के लीवर अपना लीवर संचयन करवाना सुनिश्चित करें अथवा अपने विच्छेद वन्यपर्वत जल सम्भरण एंड लीवर प्रदूषण अभियान 1975 एवं उत्तराखण्ड संचयन अधिस 2002 एवं उत्तराखण्ड जल संचयन एंड लीवर प्रदूषण अधिस 2008 के सुलभत धारकों एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सुलभत धारकों के इन न प्राविधानों के अन्तर्गत धारकों की जायगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

सहायक अभियन्ता
मसूरी।

9/2

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी अभियन्ता महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी का सचिव सूचनाएं प्रेषित।
- 2- उप जिलाधिकारी महोदय मसूरी।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ई-115 नेहरू कालोनी देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि धोबीचाट प्राकृतिक स्रोत के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सूचनाएं धारकों में अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
- 4- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिसर, मसूरी।
- 5- कनिष्ठ अभियन्ता/संचयन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

सहायक अभियन्ता



Attested Photo Copy

Km. URMIA BHATTIA
Advocate & NOTARY, Dehradun.



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

दिनांक 14-3-22

पत्रांक 269 / मोटिरा / 2022-23

मोटिरा

प्रेषित

श्री साहूजी अग्रवाल
S/O श्री अकबरुल्ला
नालापानी, धौलीघाट

विषय- सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक माओ राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं० 353/2022 कार्यालयिक शर्तों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के क्रम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक-यू०पी०सी०/एच०ओ/सा०-183/2023/568-1618 दिनांक 11-01-2023 के क्रम में माओ राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके अनुसार पैरा 6 में निर्देश दिये गये हैं कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किया जाना है।

अतः धौलीघाट की उप तृण में कोई भी परतू जमित उत्सवाह को प्राकृतिक गाले में न छोडा जाये इसके लिये आप अविलम्बत एक सवाह के भीतर अपना सीवर संयोजन करवाना सुनिश्चित करे अन्यथा आपके बिलम्ब उत्तराखण्ड जल सम्मरण एव सीवर प्रणयन अधिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड उपसंस्करण आरंभ 2002 एवं उत्तराखण्ड जल सम्मरण घाटर सफाई एव सीवर संयोजन काईसीज 2008 के सुसगत धाराओं एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सुसगत धाराओं के क्रम में प्राविधानों के अन्तर्गत केमनिक कार्यवाही की जायगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

सहायक अभियन्ता
मसूरी।

o/c

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी अभियन्ता महाादय, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- उप जिलाधिकारी महाादय मसूरी।
- 3- क्षेत्रीय अधिशासी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ई-115 गेहलू गडलोमी मेहरापुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि धौलीघाट प्राकृतिक स्रोत के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से शकने हेतु जल प्रदूषण की सुसगत धाराओं में अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
- 4- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मसूरी, मसूरी।
- 5- कनिष्ठ अभियन्ता/संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

सहायक अभियन्ता

o/c



#



E-Mail - ee_ugmur@yahoo.co.in

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

पत्रांक. 270 / नोटिस / 2022-23

प्रेषित.

नोटिस

दि. 14-1-23

श्री गुणेंद्र S/O
श्री जीवेंदर प्रसाद
नालाघाटी, धौलीघाट

विषय- सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड विद्युत मा.0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन रा.0 353/2022 कार्तिक राता नाम उत्तराखण्ड राज्य में फरित आदेश के क्रम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक-दूकेंमोसीपी/एचओ/सा.0-183/2023/568-1618 दिनांक 11-01-2023 के क्रम में मा.0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सम्बन्ध ग्रहण करे जिसके अनुरार पैरा 6 में निर्देश दिने गये है कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किपा जाना है।

अतः धौलीघाट की ओर नदी में कोई भी घरेलू जमित उत्सर्ग की प्रकृतिक मात्रा में न छोडा जाने इसके लिये अन्य उचिततम एक सत्राह के मोर अन्तः सीवर संयोजन करवाना सुनिश्चित करे अन्यथा अपने विरुद्ध उत्तराखण्ड जल सम्भरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड उपान्तरण आदेश 2002 एवं उत्तराखण्ड जल सन्तान बोर्ड सन्देश एक सीवर संयोजन 2008 के सुसगत धारणी एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सुसगत धारणी के क्रम में प्रविधानों के अन्तर्गत धारणी कार्यवाही की जावेगी। जिसकी समस्त विवेदारी आपकी स्वयं की होगी।

सहायक अभियन्ता
मसूरी।

प्रतिसिधि- निम्न लिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी अभियन्ता महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी को सादर सूचना प्रेषित।
- 2- उप जिलाधिकारी महोदय, मसूरी।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ई-115 नेहरू कालोनी देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि धौलीघाट प्राकृतिक श्रोत के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण को सुरगत धारणी में अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
- 4- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, मसूरी।
- 5- कनिष्ठ अभियन्ता/संयोजन विधिक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

सहायक अभियन्ता



Attested Photo Copy
Km. URMILA BHATIA
Advocate & NOTARY, Dehradun.



कार्यालय अधशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

कार्यालय
उत्तराखण्ड



क्रमांक 271 / नोटिस / 2022-23

नोटिस

दिनांक 14-2-23

प्रेषित

श्री इमरार अहमद
S/O श्री करीम कुरूसी
नालापानी, धौलीघाट

विषय- सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में पंजीत मूल आवेदन सं0 353/2022 कार्यालय नम0 पन्नाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के क्रम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक-मुंबई/सीवी/एन0सी/सा0-183/2023/568-1618 दिनांक 11-01-23 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सम्बन्ध ग्रहण करे लिहाके अनुसार परा 6 में निर्देश दिए गये है कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किया जाना है।


अतः धौलीघाट की उप स्ट्रीम में बोर्ड की धरेलु जलित उपग्रह को प्राकृतिक स्रोत में न छोड़ा जाये इसके लिये आप अविलम्बता एक सप्ताह के भीतर अपना सीवर संयोजन करवाना सुनिश्चित करे अन्यथा आपके विसलु उत्तराखण्ड जल संयोजन एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड उपान्तरण आदेश 2002 एवं उत्तराखण्ड जल संयोजन एंडर सक्टाई एंड सीवरेंज एक्ट्स 2008 के सुसंगत धाराओं एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सुसंगत धाराओं के क्रम में प्रावधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

सहायक अभियन्ता
मसूरी।

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी अभियन्ता महोदय, उत्तराखण्ड जल संयोजन मसूरी को सूचित सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2- उप विभागाधिकारी महोदय मसूरी।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ई-115 नगर कालोनी देहसादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि धौलीघाट प्राकृतिक स्रोत के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से बचाने हेतु जल प्रदूषण की सुसंगत धाराओं में अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
- 4- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मसूरी।
- 5- उपनिष्ठ अभियन्ता/संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संयोजन मसूरी।

सहायक अभियन्ता



Handwritten signature



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

क्रमांक 272 / नोटिस / 2022-23

प्रेषित

नोटिस

दिनांक 14/07/22

श्री इकरत अलगद
S/O श्री सीम लक्सु
नालापानी, घांवीघाट

विषय- सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक नमो राष्ट्रीय हरित अधिकरण में घोषित मूल आवेदन सं० 353/2022 कार्तिक शर्मा प्रधान उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के क्रम में एवं उत्तराखण्ड प्रादूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक-पूरा/पूरा/एचओआर/सा०-183/2023/568-1618 दिनांक 11-01-2023 के क्रम में नमो राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सम्बन्ध ग्रहण करें जिसके अनुसार पैरा 6 में निर्दिष्ट दिख गये हैं कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किया जाना है।

अतः घांवीघाट की इस स्ट्रीट में कोई भी घरों में जनित संप्रवाह को प्राकृतिक नालों में न छोड़ा जाए इसके लिए आम अवितन्त्रत एक सप्ताह के भीतर अपना सीवर संयोजन करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा अपने प्लम्ब उल्लंघन जल सन्तान एवं सीवर व्यवस्था अभिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड उपनगरण आदेश 2002 एवं उत्तराखण्ड जल सन्तान कानून सन्तान एन्ड सीवरेंड कर्टलैज 2008 के सुसंगत धाराओं एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सुसंगत धाराओं के क्रम में प्रावधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

सहायक अभियन्ता
मसूरी।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी अभियन्ता महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को सावर सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2- उप जिलाधिकारी महोदय मसूरी।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रादूषण नियन्त्रण बोर्ड ई-115 नेहरू कालोनी देहरादून को इस आदेश के साथ प्रेषित कि घांवीघाट प्राकृतिक श्रोत के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुरक्षा धाराओं में अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
- 4- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मसूरी।
- 5- कनिष्ठ अभियन्ता/संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

सहायक अभियन्ता

Attested Photo Copy

Km. URMILA BHATIA
Advocate & NOTARY, Dehradun.





कार्यालय अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।



दिनांक 14-2-23

पत्रांक 273 / नोटिस / 2022-23.

नोटिस

प्रेषित,

श्री जाकीर हुसैन
S/O श्री महम्मद आयुब
मालापानी, पानीगाट

विषय- सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के कार्तिक शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में फरित आदेश के क्रम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक-यूकेपीसीपी/एचओओ/सो-183/2023/568-1618 दिनांक 11-01-2023 के क्रम में माओ राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सम्बन्ध ग्रहण करें जिसके अनुसार पस 6 में निर्देश दिए गये हैं कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किया जाना है।

अतः पानीगाट की उप स्ट्रीम में कोई भी घरेलू जमित उत्सर्ग को प्राकृतिक नाले में न छोड़ा जाये इससे लिये आप अविलम्बतः एक सप्ताह के भीतर अपना सीवर संयोजन करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड जल संयोजन एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड उद्योग अधिनियम 2002 एवं उत्तराखण्ड जल संयोजन वाटर सप्लाय एवं सीवरेंज सड़कें 2008 के सुसंगत धाराओं एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सुसंगत धाराओं के क्रम में प्रविधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी रखा की होगी।

सहायक अभियन्ता
मसूरी।

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी अभियन्ता महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- उप जिलाधिकारी महोदय मसूरी।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ई-115 नंदरू कालोनी देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि पानीगाट प्राकृतिक स्रोत के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुसंगत धाराओं में अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
- 4- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका मसूरी।
- 5- कनिष्ठ अभियन्ता/संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

सहायक अभियन्ता





कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

संख्या 274

/नोटिस/2022-23

दिनांक 14-7-22

प्रेषित

नोटिस

श्री जलेंद्र अरजद
S/O श्री राबजीत अरजद
नालापानी, धौलीघाट

विषय- सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में घोषित मूल अधिसूचना सं0 351/2022 कावैतिका शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के क्रम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक-यूकेपीसीबी/एनएओ/सा0-183/2023/500-1610 दिनांक 11-01-2023 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सम्बन्ध ग्रहण करे जिसके अनुसार पैरा 6 में निर्देश दिये गये है कि - The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किया जाना है।

अतः धौलीघाट की उप स्टीम में कोई भी घरेलू जलित उत्सर्जन को प्राकृतिक स्रोत में न छोड़ा जाने इसके लिये अग्रे अदिलम्बतः एक सप्ताह के भीतर अपना सीवर संयोजन करवाना सुनिश्चित करे अन्यथा आगके विरुद्ध उत्तराखण्ड जल संस्थान एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड उपान्तरण आदेश 2002 एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान कांटर सप्लाय एण्ड सीवरेंज कॉर्पोरेशन 2008 के सुसंगत धाराओं एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सुसंगत धाराओं के क्रम में प्राविधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।


सहायक अभियन्ता
मसूरी।

0/L

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी अभियन्ता महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को सादर सूचना एवं प्रेषित।
- 2- उप निताधिकारी महोदय मसूरी।
- 3- क्षेत्रीय अधिशासी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ई-115 मेहला कालानी देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि धौलीघाट प्राकृतिक स्रोत के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुसंगत धाराओं में अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
- 4- अधिशासी अभियन्ता नगर पालिका परिषद, मसूरी।
- 5- सनिथ अभियन्ता/संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

सहायक अभियन्ता

Attested Photo Copy

Km. URMILA EHATIA
Advocate & NOTARY, Dehradun.





कार्यालय अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

दिनांक 14/03/23

पत्रांक 275 / नोटिस / 2022-23.

नोटिस

प्रेषित,

श्री सलीम अहमद
S/O श्री अमीर हुसैन
नौलापानी, नौलाघाट

विषय- सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक ना0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में चोखित भूल आवेदन सं0 353/2022 कार्तिक शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के क्रम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक-मुम्बईपीसीसी/एच0ओ/सा0-183/2023/588-1618 दिनांक 11-01-2023 के क्रम में ना0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सम्बन्ध ग्रहण करें जिसके अनुसार पैरा 6 में निर्दिष्ट विषय में है कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किया जाना है।

अतः नौलाघाट की अप स्लूनि में कोई भी बर्तन जल प्रवाह को प्राकृतिक गल में न छोड़ा जाये इसके लिए आप अधिलेखित एक सप्ताह के भीतर अपना सीवर संयोजन कार्यालय सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विषयक उत्तर प्रदेश जल सन्तरण एवं सीवर स्वच्छता अधिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड उपान्तरण आदेश 2002 एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान ग्लोबल स्मार्ट एंड सीवरेंज वाईलिंग 2006 के सुलभत धाराओं एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सुसंगत धाराओं के क्रम में प्रावधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्रवाई की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्थिति होगी।


सहायक अभियन्ता
मसूरी।

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी अभियन्ता मसूरी, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को साक्षर सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2- उप पिताधिकारी नौलाघाट मसूरी।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ई-115 गेहल काशीपी देहरादून को इस आदेश के साथ प्रेषित कि नौलाघाट प्राकृतिक झील को जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुसंगत धाराओं में अपने स्वयं से कार्रवाई करने की सूचना करें।
- 4- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मसूरी।
- 5- कनिष्ठ अभियन्ता/संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।


सहायक अभियन्ता

Attested Photo Copy


Km. URMILA BHATIA
Advocate & NOTARY, Dehradun.





कार्यालय अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

एक सं 276 / मासिक / 2023-23

दिनांक 14-2-23

प्रति,

गोदिस

श्री रफिक S/O
श्री अगीर हसन
जालापानी, धौबीघाट

विषय- सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक माउ सर्टीफिकेट हस्तित अभिकरण में योजित मूल आवेदन सं० 353/2022 कार्यालय शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के क्रम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पर्यावरण-सूक्ष्मजीवी/एनओ/सो-183/2023/568-1618 दिनांक 11-01-2023 के क्रम में माउ सर्टीफिकेट हस्तित अभिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सम्बन्ध ग्रहण करें जिसके अनुसार पैरा 6 में निर्देश दिये गये हैं कि - The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria किया जाना है।

आप धौबीघाट की आप स्ट्रीम 4 बोर्ड में प्रत्येक वर्ष उक्तकाह को प्राकृतिक बालों में न छोड़ा जाये इसके लिए आप अविलम्ब एक सप्ताह के भीतर अपना सीवर संयोजन करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड जल संस्थान एवं सीवर संचालन अधिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड संचालन आदेश 2002 एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान सर्टीफिकेट एण्ड सर्टीफिकेट वाइलिंग 2008 के सुनिश्चित धाराओं एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सुनिश्चित धाराओं के क्रम में प्रावधानों को अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

सहायक अभियन्ता
मसूरी।

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी अभियन्ता महादय उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2- उप जिलाधिकारी महादय मसूरी।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ई-115 नेहरू कालोनी देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि धौबीघाट प्राकृतिक बालों की जल संचालन को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुनिश्चित धाराओं में अपने स्वयं से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
- 4- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका पाँचपव, मसूरी।
- 5- कनिष्ठ अभियन्ता / संचालन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

सहायक अभियन्ता



Attested Photo Copy

Km. URMILA BHATIA
Advocate & NOTARY, Dehradun.



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।



दिनांक / 4-2-23

पत्रांक 277 / नोटिस / 2022-23

नोटिस

प्रेषित

श्री प्रह्लाद जलीम
5/0 नसी उड़ीना
नालापाती, धौवीघाट

विषय- सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में धारित मूल आवेदन सं0 353 / 2022 काविक शर्मा वनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के क्रम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक-पूकेपीसीवी / एफ0ओ / सा0-183 / 2023 / 568-1618 दिनांक 11-01-2023 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सम्बन्ध ग्रहण कर जिसके अनुसार पैरा 6 में निर्देश दिये गये हैं कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किया जाना है।

अतः धौवीघाट की उप स्टीम में कोई भी धरतु जगित प्रदूषण को प्राकृतिक नाल में न छोड़ा जाये इसके लिए उक्त अधिसूचना एक सप्ताह के भीतर अपना सीवर संयोजन करवाना सुनिश्चित कर अन्यथा आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड जल संयोजन एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड उपनगर नगर 2002 एवं उत्तराखण्ड जल संयोजन एक्टर संपाई एक्ट सीवरन वर्डिनेस 2008 के सुसंगत बंधन एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सुसंगत धाराओं के क्रम में प्राविधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

सहायक अभियन्ता
मसूरी।

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी अभियन्ता महोदय उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2- उप जिलाधिकारी महोदय मसूरी।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ई-115 नेहरू जलाशय देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि धौवीघाट प्राकृतिक नाल के जल प्रदूषण को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुसंगत धाराओं में अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
- 4- अधिशासी अभियन्ता नगर पालिका परिसर, मसूरी।
- 5- कनिष्ठ अभियन्ता / संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

सहायक अभियन्ता



E-Mail - ca_msmia@yahoo.co.in



**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।**

संख्या 278 / नोटिस / 2022-23

दिनांक 14-7-22

उपस्थित

नोटिस

श्री वसुधामि उद्दीन
5/6 श्री नसीर उद्दीन
जोलापानी, धौबीघाट

विषय- सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0 353/2022 कावैतनिक समूह प्रथम उत्तराखण्ड राज्य में भारत आदेश के क्रम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक-मुजफ्फरीपुरी/एच0आ/सा0-183/2023/568-1618 दिनांक 11-01-2023 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके अनुसार पैरा 6 में निर्दिष्ट विषय पर है कि "The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria" किया जाना है।

अतः धौबीघाट की आप स्ट्रीम में जहाँ भी घरेलू कचरा उत्पन्न हो प्राकृतिक नाले में न छोड़ा जाये इसके लिए आप अधिनियम एक संख्या के तहत अपना सीवर संयोजन प्रस्ताव सुनिश्चित करें अन्तर्गत आपका विलुद्ध उत्तराखण्ड जल संस्थान ए0 नोटिस व्यवस्था अधिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड संयोजन अधिनियम 2002 एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान बोर्ड संख्या एच0 सीवर संयोजन 2008 के सुसंगत प्रावधान एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सुसंगत धाराओं के तहत में प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यात्मक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी सम्बन्ध जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

सहायक अभियन्ता
मसूरी।

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी अभियन्ता महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को तात्पर सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2- उप जिलाधिकारी महोदय मसूरी।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ई-115 मेहरा कालानी मेहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि धौबीघाट प्राकृतिक झील के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से बचना हेतु जल प्रदूषण की सुसंगत धाराओं में अपने स्वयं से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
- 4- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मसूरी।
- 5- अनिश्चित अभियन्ता/संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

सहायक अभियन्ता



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।



दिनांक 14/2/22

क्रमांक 979

तारीख/2022-23

नोटिस

धरिता

S/O श्री नसीम अहमद
श्री मन्वीर अहमद
लोहापानी, डोकीघाट

विषय- सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में मांजित मूल आवेदन सं0 353/2022 काविक शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के क्रम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक-मुक्तपोसीवी/एच0आ/सा0-183/2023/568-1618 दिनांक 11-01-2023 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके अनुसार पैरा 6 में निर्देश दिए गये है कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किया जाना है।

अतः धोकीघाट की अप स्टीम में कोई भी अरकू कर्मित एलववाइ को प्राकृतिक मांसे में न छोड़ा जाये इसके लिए आप अधिलम्बत एक सप्ताह के भीतर अपना सीवर संयोजन करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड जल संस्थान एवं सीवर अवस्था अधिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड सफाईकरण आदेश 2002 एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा सन्तर्भ एण्ड सीवरज काईलीज 2006 के सुलगत आरामों एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सुलगत धारोंआ के क्रम में प्राविधानों के अनगती वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी सगस्त जिम्मेवारी आपकी सगम की होगी।

सहायक अभियन्ता
मसूरी।

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनाथ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी अभियन्ता महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को सूचनाथ पंजित।
- 2- उप जिलाधिकारी महोदय मसूरी।
- 3- धोकीघाट अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ई-115 नेहरू कालोनी देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि धोकीघाट प्राकृतिक श्रोत के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोक्ना हेतु जल प्रदूषण की सुलगत धारोंआ में अपने स्तर से तग्यवाही करने की सूना करें।
- 4- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका पटिपद, मसूरी।
- 5- कमिष् अभियन्ता/संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

सहायक अभियन्ता

Attested Photo Copy

Km. URMII & ATIA
Advocate & NOTARY, Dehradun.





कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

क्रमांक 280 / गेटिस / 2022-23

दिनांक 14-2-23

पधित

गेटिस

श्री लक्ष्मण प्रसाद
5/6 भगवती प्रहाद
लोलापानी, धौबीघाट

विषय - सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय स्वित्त अधिकायन में संयोजित मूल आवेदन सं0 353/2022 दिनांक 21/01/2022 एवं उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के क्रम में एव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक-सुकेपीसीबी/एचओओ/सा0-183/2023/568-1618 दिनांक 11-01-2023 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय स्वित्त अधिकायन के आदेश दिनांक 02-09-22 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके अनुसार पैरा 6 में निर्देश दिये गये हैं कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किया जाना है।

अतः धौबीघाट की उप तट्टी में कोई भी धरेलु जलित उत्सर्जन को प्राकृतिक नाले में न छोड़ा जाये इसके लिये आप अधिनियम एक सहायक नाले की सीवर अपना सीवर संयोजन करवाना सुनिश्चित कर अनायास आपकी विरुद्ध उत्तराखण्ड जल संस्थान एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड उपान्तरण आदेश 2002 एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान कटर सप्लाय एण्ड सीवरेंज बोर्डिंग 2008 के सुसंगत धाराओं एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सुसंगत धाराओं के क्रम में प्रावधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

सहायक अभियन्ता
मसूरी।

प्रतिलिपि - निम्न लिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी अभियन्ता महोदय उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को सावर सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2- उप जिलाधिकारी महोदय मसूरी।
- 3- क्षेत्रीय अधिशासी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ई-115 नेहरू कालोनी देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि धौबीघाट प्राकृतिक झील के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुसंगत धाराओं में अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
- 4- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मसूरी।
- 5- कनिष्ठ अभियन्ता/संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

सहायक अभियन्ता





कार्यालय अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

दिनांक 14-2-23

महोदय 281 / नोटिस / 2022-23

नोटिस

प्रेषित

श्री रागिर मुस्सफिर सिद्धिकी
S/o श्री सखीर मुस्सफिर सिद्धिकी
नाला पानी धोबीघाट

विषय- सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक ना0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0 353/2022 आर्तिक शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के क्रम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक-एचपीसीपी/एचपीसीपी/सा0-183/2023/568-1618 दिनांक 11-01-2023 के क्रम में ना0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके अनुसार पैरा 6 में निर्देश दिये गये हैं कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किया जाना है।

अतः धोबीघाट की अप स्ट्रीम में कोई भी घरेलू जतिम उत्सवाह को प्राकृतिक नाले में न छोड़ा जाये इसके लिये आप अविलम्बत एक सन्तार के भीतर अपना सीवर संयोजन करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विलुप्त उत्तर प्रदेश जल सम्मरण एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड उपान्तरण आदेश 2002 एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान घाट सप्लाइ एण्ड सीवरेंज बाईलांज 2008 के सुसंगत धाराओं एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सुसंगत धाराओं से उन नै प्राणियों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी समाप्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

सहायक अभियन्ता
मसूरी।

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी अभियन्ता महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2- उप जिलाधिकारी महोदय मसूरी।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ई-115 नेहरू कालोनी देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि धोबीघाट प्राकृतिक श्रोत के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुसंगत धाराओं में अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
- 4- अधिशासी अधिकारी नगर पब्लिका परिषद, मसूरी।
- 5- कनिष्ठ अभियन्ता/संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

सहायक अभियन्ता

Attested & Certified by
Km. Anantia
Advocate & NOTARY, Dehradun.





कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

संख्या 282 / नोटिस / 2022-23

दिनांक 14 / 1 / 23

दिनांक

नोटिस

श्री इमरान S/O
श्री भगीरथ अग्रवाल
नालापानी, धौबीघाट

विषय- सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

संबन्धित विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायित्व भूल आवेदन सं0 353/2022 कार्यालय क्रमांक उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के क्रम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक-पूंकपीसीवी/एच0आ/सा0-183/2023/568-1618 दिनांक 11-01-2023 के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके अनुसार पैरा 6 में निर्देश दिये गये हैं कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किया जाना है।


अतः धौबीघाट की अप स्टीम में कोई भी घरेलू जनित उत्सर्ग को प्राकृतिक नाले में न छोड़ा जाये इसके लिए आप अविलम्बत एक सप्ताह के भीतर अपना सीवर संयोजन करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड जल संस्थान एच सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड उपान्तरण आदेश 2002 एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान वाटर सप्लाय एण्ड सेवरिज बोर्ड्स 2008 के सुसंगत धाराओं एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सुसंगत धाराओं के क्रम में प्रावधानों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी रचने की होगी।

सहायक अभियन्ता
मसूरी।

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी अभियन्ता महोदय उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को सादर सूचना प्रेषित।
- 2- उप जिलाधिकारी महोदय मसूरी।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ई-115 नेहरू कालोनी देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि धौबीघाट प्राकृतिक नाले के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुसंगत धाराओं में अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
- 4- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मसूरी।
- 5- कनिष्ठ अभियन्ता/संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

सहायक अभियन्ता





कार्यालय अधिशासी अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

दिनांक/19-2-23

संख्या 283 /कारिता/2022-23

नोटिस

प्रति

श्री तजिस मुस्वीर सिद्धी
S/O श्री सावीर मुस्वीर सिद्धी
नालापानी, धोबीघाट

विषय- सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त लिपिक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायित्व भूल आवेदन सं0 353/2022 कारितक शर्मा वनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश को कम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रक-मुंबईसीसी/एच030/सा0-183/2023/588-1818 दिनांक 11-01-2023 को कम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सम्बन्ध रहण करें जिसके अनुसार पैरा 6 में निर्देश दिये गये हैं कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किया जाना है।

अतः धोबीघाट की उप स्ट्रीम में कोई भी घरेलू जनित कचरा को अकृतिक माले में न छोड़ा जाये इसके लिए आप अनिलगत एक सप्ताह के भीतर अपना सीवर संयोजन करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध उत्तरप्रदेश जल सम्मरण एवं सीवर प्रणाली अभियन्ता 1975 एवं उत्तराखण्ड संपान्तरण आदेश 2002 एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान वाटर सप्लाय एण्ड सीवरज बोर्ड/सा0 2008 के सुसंगत धाराओं एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सुसंगत धाराओं के क्रम में प्रावधानों के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी। किन्तु सफल जिम्मेदारी आपकी संघ की होगी।


सहायक अभियन्ता
मसूरी।

/

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


- 1- अधिशासी अभियन्ता महोदय उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को सादर सूचना हेतु प्रेषित।
- 2- उप लिपिकावली भेजकर मसूरी।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ई-115 मेहलू फालोनी देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि धोबीघाट प्राकृतिक स्रोत के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुसंगत धाराओं में अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करें।
- 4- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मसूरी।
- 5- कनिष्ठ अभियन्ता/संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।


सहायक अभियन्ता

/

Attested Photo Copy


K. JRVILA SHATIA
NOTARY, Dehradun.





कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

दिनांक 28/11/2012

पत्र संख्या 11-2

सेवा

कोटिपत्र

श्री आसिम
मालापाणी चौकीघाट

विषय- सीवर संग्रहण के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण में पंजीकृत मु. सं. सं. 1077 कांठिक शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश की वजह से एन. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, न. पत्र सं. यू.पी.सी.डी./ए.पी.सी./सा. 183/2012/568-1818 दिनांक 11-01-023 के क्रम में मा. राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का संदर्भ ग्रहण करे जिसके अनुसार पैरा 8 में निर्दिष्ट कि 'The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria' किया जाना है।

उक्त चौकीघाट की इस स्थिति में कोई भी घरेलू जैविक उत्सर्जन को प्राकृतिक नाले में न डाले जाए इसके लिए आम अभियन्ता एक सप्ताह के भीतर अपना सीवर संग्रहण करवाना सुनिश्चित करे अन्यथा जनरेटिबल क्वॉलिटी कंट्रोल एक्ट 1975 एवं उत्तराखण्ड उपनगर आदेश 2012 एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा जारी एन. सी.डी. आदेश 2008 के सुसंगत धाराओं एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाही की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी सेवा की होगी।

सहायक अभियन्ता
मसूरी।

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी अभियन्ता महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को सादर सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2- उप जिलाधिकारी महोदय मसूरी।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ई-115 मेरठ कालोनी देहरादून को इस आशय के पत्र प्रेषित कि चौकीघाट प्राकृतिक नाले को जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुरक्षा धाराओं में अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
- 4- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मसूरी।
- 5- कनिष्ठ अभियन्ता/संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

सहायक अभियन्ता





कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

कार्यालय
उत्तराखण्ड



पत्रांक 285 नोडिन 2022-23

नोटिस

प्रेषित

श्री नफीस भुस्यफिर सिद्दिकी
S/अध्यायी मसूरी सिद्दिकी
नोलापानी बाबाघाट

विषय- सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त निम्नक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में पंजीत मूल आवेदन सं० 353/2022 कार्तिक शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य ने पारित आदेश के क्रम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्रांक-यूकेपीसीवी/एनओ/सा०-183/2023/669-1818 दिनांक 11-01-2023 के क्रम में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 का सन्दर्भ ग्रहण करें जिसके अनुसार पैरा 6 में निर्देश दिये गये है कि - The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria किया जाना है।

अतः बाबाघाट की अप स्ट्रीम में कोई भी घरेलू जनित उत्पन्न को प्राकृतिक नाले में न छोड़ा जाये इसके लिये आप अविलम्बत एक सप्ताह के भीतर अपना सीवर संयोजन करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड जल संस्थान एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड उपान्तरण आदेश 2002 एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान बाहर सप्ताई एण्ड सीवरेंज बोर्डलॉक 2008 के सुसंगत धाराओं एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सुसंगत धाराओं के क्रम में प्राधिकारों के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

सहायक अभियन्ता
मसूरी।

प्रतिलिपि:- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी अभियन्ता महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- उप जिलाधिकारी महोदय मसूरी।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ई-115 नेहरू कालोनी देहरादून को इस आशय के साथ संमित कि बाबाघाट प्राकृतिक स्रोत के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुसंगत धाराओं में अपने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
- 4- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मसूरी।
- 5- कनिष्ठ अभियन्ता/संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

सहायक अभियन्ता





कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

दिनांक 23/6

नॉटिस / 2022-23

परिपत्र

नोटिस

दिनांक 19-2-23

श्री फिरोज आहमद
8/0 श्रीफरीद आहमद
लोला पानी चौकीदाह

विषय-

सीवर संयोजन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं० 353/2022 कार्तिक शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश के क्रम में एवं उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के पत्रांक-मुंबई/सीवी/एच०आं/सा०-183/2023/588-1618 दिनांक 11-01-2023 के क्रम में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-22 को सन्दर्भ ग्रहण करे जिसके अनुसार पैरा 6 में निर्दिष्ट दिनांक 8 कि. The Water Quality of Lake to be Monitored at least of class 'B' of Primary Water Quality Criteria किया जाना है।

उक्त प्राचीनवाट की अब स्ट्रीम में कोई भी घरेलू जनित अप्रवाह को प्राकृतिक गाले में न छोड़ा जाये इसके लिए शान्त अभियन्ता एक सप्ताह के भीतर अपना सीवर संयोजन करवाना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरुद्ध उत्तराखण्ड जल संस्थान एवं सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 एवं उत्तराखण्ड उपान्तरण अधिनियम 2002 एवं उत्तराखण्ड जल संस्थान अधिनियम 2008 एवं सीवरिंग बोर्डलाय 2008 को सुसंगत प्रावधानों एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कानूनी कार्यवाही की जायेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी श्वेद की होगी।

सहायक अभियन्ता
मसूरी।


प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधिशासी अभियन्ता महादय उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी को सावर सूचनाार्थ प्रेषित।
- 2- उप जिलाधिकारी महादय मसूरी।
- 3- क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड ई-115 नेहरू कालोनी देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि प्राचीनवाट प्राकृतिक श्रोत के जल प्रवाह को प्रदूषित करने से रोकने हेतु जल प्रदूषण की सुसंगत प्रावधानों में आने स्तर से कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।
- 4- अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद, मसूरी।
- 5- कनिष्ठ अभियन्ता/संयोजन लिपिक उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।

सहायक अभियन्ता

Attested Photo Copy

Km. DEVI, A. S. SA
Advocate, NOTAR, Dehradun.



ANNEXURE-4



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
उत्तराखण्ड जल संस्थान, मसूरी।

दूरभाष-0135-2632055
E-Mail - ee_ujsmie@yahoo.co.in

मस्
सूरी

पत्रांक 1931 / अधि03/पी0 / 2022-23

दिनांक 10/03/23

सेवा में

जिलाधिकारी
देहरादून।


विषय:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0-353/2022 कार्तिक शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 02-09-2022 एवं 12-01-2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन सं0-353/2022 कार्तिक शर्मा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 02-09-2022 एवं 12-01-2023 के सम्बन्ध में संशोधित अनुपालन आख्या निम्नवत है।

- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02-09-2022 के पैरा 6 के अनुसार "The Water Quality of Lake to be monitored at least of Class 'B' of Primary Water Quality Criteria" उपरोक्त के क्रम में इस कार्यालय द्वारा घोबिघाट में निवासरत परिवारों को इस आशय का नोटिस प्रेषित कर दिये गये हैं कि घोबिघाट की अपस्ट्रीम में कोई भी घरेलू जनित उत्प्रवाह को न छोड़ा जाये तथा उनके द्वारा अविलम्ब ही सीवर संयोजन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये। (संलग्न नोटिस) जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 13 उपभोक्ताओं द्वारा सीवर संयोजन ले लिये गये हैं शेष उपभोक्ताओं द्वारा सीवर संयोजन लेने की प्रक्रिया गतिमान है साथ ही अवगत कचना है कि सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत दूषित जल को Class 'B' कैटेगरी में लाने का कार्य उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा किया जाता है उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा केवल योजनाओं रखरखाव एवं संचालन का कार्य ही किया जाता है।
- मा0 एन0जी0टी0 के आदेश 02-09-2023 के पैरा 7 के अनुसार Accordingly, we direct a five member joint committee to be headed by chairman, Uttarakhand Pay Jal Sansthan, with nominees of National Wetland Authority, State Wetland Authority, State PCB and District Magistrate Dehradun to ensure the drawl of Water From the catchment area of the lake is duly regulated. State PCB needs to regulate consents only to the extent of availability of water with a commercial establishment from water harvesting or recycled waste water or water supplied by the Jal Sansthan. No hotel be allowed to draw water from springs flowing into the lake without strict regulation, considering the extend of availability and priority for availability of water for drinking purposes for the inhabitants. The state PCB will be the Nodel Agency for Coordination and Compliance एवं मा0 एन0जी0टी0 के आदेश दिनांक 12-01-2023 के बिन्दु सं0 15 अनुसार In the fact and circumstances, till proper effectiye regulatory measures are provided by the UKPCB and other Authorities including District Magistrate, Dehradun, we hereby direct UKPCB and Distract Magisurate, Dehradun to ensure that no private vendor draw any, water to carry through tanker for supply for commercial use by the hotels and any violation will attract imposition of environmental compensation payable by such vendors and users, ie hotels. उक्त के क्रम में



धोबिघाट में टैंकरों के माध्यम से जल भण्डारण हेतु की गयी अस्थायी व्यवस्था को पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया गया है जिससे कि प्राइवेट वैंडर्स एवं होटलों द्वारा वर्तमान धोबिघाट से जल का दोहन नहीं किया जा रहा है, तथा धोबिघाट नाले के जल को विनियमित करने की कार्यवाही वर्तमान में गतिमान है।

भवदीय



(एल0 सी0 रमोला)
अधिशाली अभियन्ता

प्रतिलिपि-

1. मुख्य महाप्रबन्धक महोदय उत्तराखण्ड जल संस्थान जल भवन बी-ब्लॉक नेहरू कालोनी देहरादून को सादर सूचनार्थ।
2. सदस्य सचिव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून को जिलाधिकारी महोदय के पत्र सं0 636 दिनांक 18 जनवरी 2023 के क्रम में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. महाप्रबन्धक (मु0) महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान, जल भवन बी-ब्लॉक नेहरू कालोनी देहरादून को सादर सूचनार्थ।
4. अधीक्षण अभियन्ता (ग्रा0) महोदय, उत्तराखण्ड जल संस्थान, 95 राजपुर रोड देहरादून।
5. अधिशाली अभियन्ता, उत्तराखण्ड पेयजल एवं निर्माण निगम देहरादून मसूरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. उपजिलाधिकारी मसूरी को सादर सूचनार्थ।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड देहरादून।
8. अधिशाली अधिकारी नगर पालिका परिषद मसूरी।
9. सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान मसूरी।



अधिशाली अभियन्ता



ITRUE C-8411

Attested Photo Copy

Km. URMILA BHATIA
Advocate & NOTARY, Dehradun.



Scanned with OKEN Scanner